आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस विज्ञान

वर्ष-37 अंक 139 जुलाई-दिसंबर, 2018

पुलिस विज्ञान

अंक-138 (जुलाई-दिसंबर-2018)

सलाहकार समिति

डॉ. आनन्द प्रकाश माहेश्वरी

महानिदेशक

वी.एच. देशमुख

अपर महानिदेशक

डॉ. निर्मल कुमार आज़ाद

महानिरीक्षक (वि. पु. प्रभाग)

शशि कान्त उपाध्याय

उप महानिरीक्षक (वि. पु. प्रभाग)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

एन.एच.-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से सम्बन्धित विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार रु.30,000/- प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए रु.14,000/- प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में रु.40,000/- के दो पुरस्कार हैं, जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री होगी व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 7-8 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएँ/रूपरेखाएँ भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), एन.एच.-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 से संपर्क करें।

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डॉक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृत्ति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृत्तियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष रु.25,000/- तथा तीसरे वर्ष से रु.28,000/- प्रदान किए जाएँगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान अनुभाग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in परं भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार संबंधी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (अनु.), एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 पर संपर्क कर सकते हैं तथा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संपादकीय

'पुलिस विज्ञान' छमाही पत्रिका का जुलाई-दिसंबर, 2018 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य सम्बन्धित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य-प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावना से सम्बन्धित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रेस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्गों के लिए उपयोगी हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **छोटे हथियारों का प्रसार मानव सुरक्षा और सुरक्षा बलों की भूमिका, सोशल मीडिया और स्मार्ट पुलिसिंग, वीमेन इन ब्लू : महिला सुरक्षा का नया रंग, पॉलीग्राफ टेस्ट - एक परिचय, मध्यप्रदेश पुलिस में 'डायल-100' की महत्ता एवं उपयोगिता, पुलिस की सफलता : उसका व्यक्तित्व एवं सकारात्मक सोच, कम्प्यूटर एवं साइबर अपराध, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर मानव तस्करी को रोकता एक बल** से सम्बन्धित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे।

आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

संपादक

लेखकों से निवेदन

यदि 'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथाशीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके संबंध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है। आप लेख को ई-मेल satishdabral13@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

यदि आपने 'पुलिस विज्ञान' से सम्बन्धित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि आपने 'पुलिस विज्ञान' से सम्बन्धित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कॉपीराइट हो अथवा उनके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों में समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कॉपीराइट के संबंध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए 'पुलिस विज्ञान' की नमूने की प्रति ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संपादक

पुलिस विज्ञान

एन. एच.-8, महिपालपुर,

नई दिल्ली-110 037

वेब साइट-डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन

वर्ष-36 जुलाई-दिसंबर, 2018

विषय सूची

सामाग्री	लेखक	पृष्ठ सं.
छोटे हथियारों का प्रसार मानव सुरक्षा और सुरक्षा बलों की भूमिका	**डॉ. दिनेश कुमार गुप्त**	**1**
सोशल मीडिया और स्मार्ट पुलिसिंग	**डॉ. दलवीर सिंह गहलावत**	**7**
वीमेन इन ब्लू : महिला सुरक्षा का नया रंग	**डॉ. जोरावर सिंह राणावत**	**13**
पॉलीग्राफ टेस्ट - एक परिचय	**डॉ. ए.के. श्रीवास्तव**	**18**
मध्यप्रदेश पुलिस में 'डायल-100' की महत्ता एवं उपयोगिता	**श्री रुपेश कुमार उपाध्याय**	**22**
पुलिस की सफलता : उसका व्यक्तित्व एवं सकारात्मक सोच	**डॉ. चन्द्रप्रभा जैन**	**28**
कम्प्यूटर एवं साइबर अपराध	**डॉ. वीना शर्मा**	**33**
भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर मानव तस्करी को रोकता एक बल	**श्री रघुवीर प्रसाद**	**37**

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ेड. ख़ान, *नई दिल्ली,* **श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी,** *लखनऊ,* **प्रो. अरुणा भारद्वाज,** *नई दिल्ली,* **प्रो. जे.डी. शर्मा,** *सागर (म.प्र.)* **प्रो. स्नेहलता टण्डन.** *नई दिल्ली,* **प्रो. वी.के. कपूर,** जम्मू, **डॉ. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी,** मेरठ, **डॉ. अरविन्द तिवारी,** मुम्बई, **डॉ. उपनीत लल्ली,** चण्डीगढ़, **श्री वी.वी. सरदाना,** फ़रीदाबाद, **श्री सुनील कुमार गुप्ता,** नई दिल्ली

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : जे.के ऑफ़सेट ग्राफ़िक्स प्रा.लि., बी-278, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फ़ेज़-1, नई दिल्ली-110 020

छोटे हथियारों का प्रसार, मानव सुरक्षा और सुरक्षा बलों की भूमिका

डॉ. दिनेश कुमार गुप्त

सहायक प्रोफ़ेसर

उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश

वैश्विक स्तर पर छोटे हथियारों द्वारा हिंसा एक ज्वलन्त समस्या बन उभरी है, जिसके फलस्वरूप मानवाधिकारों का हनन और मानव सुरक्षा के रक्षार्थ उपायों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदत्त करना असंभव तो नहीं, पर मुश्किल होता जा रहा है। अस्मिता, अस्तित्व, अमन-चैन के सुरक्षार्थ एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा के पहुँच मार्गों में निजी स्वार्थों की स्वाभाविक विस्तृत फलक की सशक्त उपस्थिति मानव एवं मानवीय गरिमा के स्वभाविक अधिकारों को कटघरे में खड़ा करने हेतु बाध्य करती है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 639 मिलियन छोटे शस्त्र एवं हल्के हथियार सम्पूर्ण भूमण्डल पर विकीर्णित हैं। इन हथियारों के उत्पादन में संलग्न 90 देशों की 1200 कम्पनियाँ वैश्विक स्तर पर छोटे हथियारों के व्यापार कार्य में संलग्न है।[1]

'इण्टरनेशनल एक्शन नेटवर्क ऑन स्माल आर्म्स' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सम्पूर्ण संसार में प्रतिवर्ष 3,00,000 मौतें छोटे हथियारों से होती हैं, जिसमें 10,00,000 लोग छोटे शस्त्रों के उपयोग से प्रतिवर्ष घायल होते हैं, 2,00,000 से अधिक लोग हर साल शस्त्रों द्वारा कथित नरसंहार का शिकार होते हैं। 50,000 से अधिक लोग हर वर्ष शस्त्रों द्वारा आत्महत्या करते हैं। इसके साथ ही युद्ध और सशस्त्र संघर्षों के संदर्भ में प्रतिवर्ष 60-90,000 लोग घायल होते हैं।[2] छोटे हथियार सीधे तौर पर मानवीय आयामों से सम्बन्धित समस्या को निर्मित करते हैं, जहाँ मानव की प्रत्येक गतिविधि 'आतंक उन्मुखी परिवेश' के निकटस्थ होती है। छोटे हथियारों की भयावह उपलब्धता ने विकास के विभिन्न उपादनों को स्वहितार्थ श्रृंखलाबद्ध मानदण्डों को निर्मित किया जो अन्तः दीर्घकालीन सामाजिक संघर्ष को जन्म देती है। फलस्वरूप, सामाजिक ढाँचे को क्षति पहुँचने के साथ ही विकास की गति को मन्द करने में सक्षम परिवेश का निर्माण सुनिश्चित हो जाता है।

इस तरह छोटे हथियारों का प्रसार मानवीय परिवेश को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष प्रभावों में मौतों का होना, घायल होना, विभिन्न शारीरिक और मानसिक अयोग्यताओं का विकसित होना, आतंक उन्मुखी परिवेश का सृजन, बच्चों, महिलाओं व मानवों के मूलभूत मानव गरिमा का हनन इत्यादि सम्मिलित हैं। अप्रत्यक्ष प्रभावों में विकास, सामाजिक संरचना का तहस-नहस होना, पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक घटकों के साथ ही विधि एवं व्यवस्था सम्बद्ध इत्यादि तत्व सम्मिलित हैं।

समग्रतः आपराधिक/आतंकी समूहों द्वारा समय और संदर्भ द्वारा पोषित, निर्मित, संघर्षात्मक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनौवैज्ञानिक परिस्थितियों को स्वहित में प्रयोग किया जाता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्दोष नागरिकों पर पड़ता है, जहाँ मानवाधिकारों का हनन और मानव असुरक्षा आम हो जाती है।

भारत में छोटे शस्त्रों एवं हल्के हथियारों का प्रसार पाकिस्तान द्वारा अनूदित और प्रायोजित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अलगावादी संस्करण के रूप में 1970 से एक सोची-समझी रणनीति के तहत पंजाब और जम्मू-कश्मीर सीमान्त क्षेत्रों में उपद्रव उत्पन्न करने के उद्देश्य के तहत हुआ।

दिसम्बर, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और अमेरिकी अनूदित पाकिस्तानी खुफिया ऐजेंसी ISI की अमानवीय गतिविधियों, छोटे हथियारों के ग्रहण व प्रदत्तीकरण का बेहतर मंच उपलब्ध कराया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है भारत में छोटे हथियारों के प्रसार में ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं आर्थिक घटकों के साथ ही पड़ोसी राष्ट्रों का समर्थन और प्रशिक्षण महत्वपूर्ण रहा।

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर के सभी राज्य एवं नक्सल प्रभावित राज्यों का 'रेड कॉरिडोर' के रूप में सृजित हिंसापरक गतिविधियों को संचालित करने में छोटे हथियारों की भूमिका असंदिग्ध है। लैंडमाइन्स, कार्बाइन्स, विस्फोटक, एसॉल्ट राइफलें एवं ए.के. श्रेणी की राइफलों (AK-47, AK-56, AK-74, A.K.-97) का उपयोग आम हो गया है। फलस्वरूप, मानव अधिकारों एवं मानव सुरक्षा के प्राकृतिक संहिता को दरकिनार कर निहित स्वार्थपरक रणनीतिक ध्येयों के पूर्ति के क्रम में अधिक रुचि प्रदर्शित करना रुचिकर हो जाता है।

एक शोध के अनुसार, 40 मिलियन छोटे हथियार भारत में मौजूद हैं, जिनमें अवैध शस्त्रों की संख्या अधिक है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में छोटे शस्त्रों की संख्या लगभग 75 मिलियन है, जिसमें 63 मिलियन नागरिकों के पास हैं।

भारत में छोटे हथियारों के फलस्वरूप उत्पन्न विपदा की गंभीरता यह है कि पिछले 10 वर्षों में 75,000 मौतें छोटे शस्त्रों से हुई और 4500 अवैध हथियार ज़ब्त किये गए। देशी हथियार अधिकतम उत्तर प्रदेश और बिहार में निर्मित किये गए और विदेश निर्मित हथियार तस्करी के ज़रिये हवाई और समुद्री रास्ते से मुम्बई लाए गए।

आतंकवादियों, उग्रवादियों एवं अपराधियों के पास 5 मिलियन छोटे हथियार हैं, जो कुल हथियार भण्डारण का लगभग 1 प्रतिशत है। 25 प्रतिशत छोटे शस्त्रों का व्यापार अवैध तरीके से होता है।

छोटे हथियारों की उपलब्धता ने भारतीय समाज, मानवाधिकार व मानव सुरक्षा को निम्न तरह प्रभावित किया -

(क) हिंसात्मक स्वरूप के संघर्षों में वृद्धि

1. समाज के विभिन्न समूहों और नृजातीय समूहों के मध्य हिंसा में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई।

2. चुनाव के पूर्व व पश्चात् विभिन्न राजनीतिक समूहों के मध्य सशक्त मुठभेड़ों में बेतहाशा वृद्धि हुई।

3. राजनीतिज्ञों और उनके अनुयायियों द्वारा विरोधियों की हत्या करने, चोट पहुँचाने के निमित्त छोटे हथियारों का भरपूर उपयोग किया गया।

4. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को प्रभावित करने, परिवारों को पक्ष में करने के निमित्त सहयोगियों द्वारा सशक्त हिंसा को अपनाया गया।

5. राजनीतिज्ञों द्वारा चुनाव जीतने के पश्चात् छोटे हथियारों को शस्त्र कार्यालयों में औपचारिक रूप से जमा नहीं किया गया। फलतः दुरुपयोग की संभावनाएँ बढ़ीं।

6. शस्त्र मुद्दे पर राजनीतिज्ञों के लिए नियंत्रण की व्यवस्था नहीं रही।

7. विगत वर्षों में विभिन्न नृजातीय और धार्मिक समूहों के मध्य सशक्त मुठभेड़ों को सुनिश्चित किया गया।

8. व्यक्तिगत विवादों यथा–परिवार, भूमि विवाद इत्यादि के समाधान में हिंसात्मक अपराध एवं सामुदायिक तनावों में वृद्धि हुई।

9. विभिन्न नृजातीय समुदायों के मध्य जातीय असौहार्दता में अधिकता हुई।

10. वैध शस्त्र धारकों द्वारा छोटे हथियारों का खूब दुरुपयोग किया गया।

11. सुरक्षा संस्थानों एवं प्रशासनिक निकायों को छोटे हथियारों के 'शक्ति उपकरण' के तौर पर उपयोग के रोकथाम हेतु उत्तरदायित्व प्रदत्त किये गए।

12. विधि के शासन के अनुकूल परिवेश का अभाव।

13. ग्रामीण समुदायों के मध्य छोटे शस्त्रों के प्रसार एवं उपयोग में व्यापक वृद्धि हुई।

14. अवैध हथियारों की सूचना देने के निमित्त सूचनादाता की सुरक्षा की व्यवस्था का अभाव।

15. सुरक्षाबलों और पुलिस के मध्य पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बोध की न्यूनता।

(ख) हिंसात्मक अपराधों में वृद्धि

1. संगठित अपराध से निपटने के दौरान सैन्य दुर्घटनाओं एवं क्षतियों में अभूतपूर्व वृद्धि।

2. अण्डरवर्ल्ड आपराधिक समूहों को छोटे हथियारों की प्राप्ति व व्यवहार निमित्त सुविधापरक परिवेश का निर्माण।

3. कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों द्वारा आपराधिक समूहों को बेतहाशा समर्थन।

4. सुरक्षा बलों द्वारा सेवा समय के पश्चात हथियारों को स्वगृह लाना तत्श्चात् दुरुपयोग में वृद्धि।

5. सशक्त आपराधिक समूहों से निपटने हेतु अपर्याप्त, अप्रभावकारी सरकारी व्यवस्था का होना।

6. संविदा हत्या, बलात्कार, डकैती इत्यादि अपराधों के निमित्त अनुकूल परिस्थितियों का सृजन।

7. सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मानकों में गिरावट और मानवीय जीवन में मूल्यहीनता की स्थिति उत्पन्न होना।

8. छोटे हथियारों के प्रसार और ड्रग तस्करी का कारोबार नज़दीकी सम्बद्धता धारित की।

9. ज़िलों एवं राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक प्रशासन अपराधों को सँभालने में अक्षम रहा।

10. छोटे हथियारों का उपयोग और हिंसात्मक कृत्य को कारित करने के निमित्त युवकों एवं बच्चों के मध्य 'प्रतिष्ठापरक चिन्ह' करार दिया गया।

11. बच्चों को अपराध एवं सशक्त हिंसा कारित करने स्वरूप अधिक पसंद किया गया विशेषकर 'ट्वाय गन्स' के उपयोग को सुनिश्चित कर।

(ग) लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षीणता

1. राजनीतिक हिंसा के समय विभिन्न समुदायों के मध्य 'असुरक्षा का भय' उत्पन्न होना।

2. मूलभूत अधिकारों यथा – जीने का अधिकार,

अभिव्यक्ति एवं भाषण के अधिकारों में गंभीर गिरावट।

3. सत्ता एवं प्रतिष्ठा के रूप में छोटे हथियारों का कुछ लोगों द्वारा उपयोग किया गया।

4. विधि के शासन की न्यूनता, कमजोर न्यायिक नियंत्रण की स्थिति का उत्पन्न होना।

5. लोकतंत्र एवं विधि तंत्र पर विश्वास की व्यापक कमी घटित हुई।

(घ) मानव असुरक्षा में वृद्धि

1. विभिन्न समुदायों के मध्य आर्थिक अस्थिरता एवं सामाजिक वैमनस्यता में व्यापक वृद्धि

2. जीवन एवं सम्पत्ति की अथाह क्षति।

3. महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा, जिसमें बच्चों का दुरुपयोग, बलात्कार एवं घरेलू हिंसा सम्मिलित है।

4. सशक्त हिंसा और अपराध द्वारा शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षति का उत्पन्न होना।

5. किसानों द्वारा खेतों से फसलों को क्षति पहुँचाने वाले पशुओं के भगाने के निमित्त अवैध छोटे हथियारों की व्यापक ख़रीद-फ़रोख़्त। फलतः दुर्घटनावश नागरिकों की मौतों एवं घायलों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि।

6. छोटे हथियारों की आसान उपलब्धता ने आत्महत्या को प्रोत्सहित किया।

7. प्राइवेट सुरक्षा फर्मों द्वारा अकुशल व्यक्तियों की भर्ती ने लोगों के जीवन को ख़तरनाक बनाया।

(ङ) पर्यावरणीय निम्नीकरण

1. "लोरा एवं फौना, प्राकृतिक संसाधानों एवं जंगली जीवन को अपार क्षति।

2. सशक्त समूहों द्वारा बहुमूल्य लकड़ी-लट्ठों की प्राप्ति, शिकार एवं अन्य जीव सेन्चुरी की व्यापक क्षति।

निःसन्देह भारत में उत्पन्न 'हथियार संस्कृति' ने स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं व्यवस्था, शान्ति एवं सुरक्षा को चुनौती प्रदत्त करने के साथ ही विस्तृत फलक में समाज को संघर्ष जैसी परिस्थितियों के तरफ अग्रसारित किया। धन, भूमि और महिलाओं के मुद्दों पर आधारित स्थानीय संघर्ष में छोटे हथियारों ने 'ऊर्जा उपकरण' के तौर पर भूमिका का निर्वहन किया।

इस तरह, यह कहा जा सकता है कि महिला, मुद्रा और मकान पर आधारित संघर्ष की प्रारंभिक शुरुआत को छोटे हथियारों ने समेकित रूप से 'सुविधापरक एकल खिड़की' प्रदत्त की, जिसके उपयोग से न्यून धन, श्रम व समय में विभिन्न दुर्घटनाओं को कारित किया जाता है जिसके फलस्वरूप मानव की स्वभाविक गरिमा व मानव सुरक्षा को गहरा आघात पहुँचता है।

मानव सुरक्षा

मानव सुरक्षा 1990 के दशक से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा प्रबन्धन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर चिन्तन एवं मंथन का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा। अन्तर्राष्ट्रीय फलक पर व्यवहार करते समय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हित राष्ट्रों का महत्वपूर्ण विषय होता है। हर राष्ट्र अपनी ज़रूरतों एवं राष्ट्रीय हितों के मद्देनज़र अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में भूमिका का निर्वहन करता है।

यद्यपि राष्ट्र द्वितीयक हितों में समझौता कर सकता है, परन्तु प्राथमिक हितों से समझौता कोई राष्ट्र हरगिज़ नहीं कर सकता। यहीं पर सुरक्षा तत्व की अहमियत बढ़ जाती है। चूंकि सुरक्षा की प्रवृत्ति सापेक्षिक रूप से गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है, वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा चिन्तन संस्थानों का चिन्तन केन्द्रण जहाँ परम्परागत अवधारणा के चलते राज्य केन्द्रित रहा वहीं सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा व्यक्ति केन्द्रित है, जो किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति के सुरक्षा को पुख़्ता करने की मानसिक व स्थापनागत कवायद पर ज़ोर देती है। राज्य केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्था बाह्य तत्वों यथा राष्ट्र की सीमा सुरक्षा के लिए अहम होती है, किन्तु व्यक्ति आधारित सुरक्षा–व्यवस्था आन्तरिक सुरक्षा के दायरे में आ जाती है।

आज हर राष्ट्र आन्तरिक सुरक्षा की समस्याओं से जूझ रहा है जिसमें मानव सुरक्षा महत्वपूर्ण है। मानव की मर्यादा व गरिमा के दायरे में विकास निमित्त जो भी कवायद की जाती है, सभी मानव सुरक्षा को पुख़्ता करती है। यद्यपि हर राष्ट्र अपनी परिस्थितियों के मुताबिक सुरक्षा संस्थापन सुनिश्चित करता है। सुरक्षा विशेषज्ञ रॉबर्ट मैकनमारा का यह कथन समीचीन है विकास ही सुरक्षा है और सुरक्षा ही विकास है। बिना सुरक्षा के न तो हम विकास की गति व प्रवृत्ति को बनाये रख सकते हैं और न ही बिना विकास के सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी हद तक विकास मानव सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक हो जाता है। अद्यतन परिवेश में राष्ट्रों के समक्ष इस तरह की चुनौतियाँ हैं कि विकास के रास्ते मानव सुरक्षा को कैसे पुख़्ता किया जाए? किस तरह के प्रयोग, उपयोग व संयोग तय किए जाएँ कि अदना–सा आम आदमी भी राष्ट्र की विकासपरक मुख्यधारा से जुड़ सके? ख़ासतौर पर ऐसे असंतुष्ट तत्व, जिन्हें न राष्ट्र से मतलब है और न ही समाज की पीड़ा व दायित्व बोध से। ज़रूरी है, राष्ट्र ऐसे तत्वों से निपटने की बाबत सुरक्षा बलों को परिस्थितिपरक व स्थापनपरक व्यापक अधिकार/आदेश/निर्देश प्रदान करे। हाल के वर्षो में छोटे हथियारों ने मानव सुरक्षा को व्यापक क्षति पहुँचाई है। ज़रूरी है, छोटे शस्त्र एवं हल्के हथियारों का अवैधानिक निर्माण, उत्पादन व वितरण/प्रसार निमित्त सुरक्षा बलों को ज़ब्तीकरण से लेकर अप्रसार होने तक 'ऑन दि स्पॉट' का 'लीगल पैकेज एक्शन कैप्सूल' मॉडल विकसित किया जाना महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा बलों की भूमिका

1. छोटे हथियारों के घरेलू निर्माण 'कॉटेज इण्डस्ट्री' पर कड़ी नज़र व कार्रवाई वैधानिक दायरे में ऐसी हो कि पुनः 'कॉटेज इण्डस्ट्री' पनप न सके।

2. शोध एवं विश्लेषण के ज़रिये जहाँ–जहाँ 'कॉटेज इण्डस्ट्री' है, तह तक जाना व मास्टर माइंड व मातहतों के नवीन स्थान स्थापन के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई करना।

3. अक्सर अपराध दो पुलिस स्टेशन सीमाओं के मध्य होते हैं, जिन्हें 'क्राइम प्रोन एरिया' कहा जाता है। यहाँ पर त्वरित कार्रवाईपरक मज़बूत आपसी समन्वय होना बेहद ख़ास है।

4. स्टेट पुलिस ऐजेंसी के मध्य त्वरित समन्वय बेहद ज़रूरी है। सूचना विनिमय, कॉम्बिंग, पेट्रोलिंग व एक्शन स्तर पर मानव संसाधन की उपलब्धता व सैन्य साज़ो–सामान की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए।

5. परिस्थितिपरक निर्णय का अधिकार महत्वपूर्ण है, परन्तु अधिकारों के उपयोग की बाबत ज़रूरी सावधानी अपेक्षित है।

6. 'हर्ष फायरिंग' आजकल मानव सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। नियंत्रण व नियमन हेतु समन्वयन महत्वपूर्ण है।

7. छोटे शस्त्रों एवं हल्के हथियारों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर शिथिलता अपराध का प्रोत्साहक कारक बन जाती है।

8. केन्द्रीय स्तर से लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन स्तर तक एक ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जाए, जिससे ऑनलाइन निर्देशन/आदेश/निर्देश/सूचना विनिमय/संसाधान विनिमय तत्काल लिए व दिए जा सकें। साथ ही, अनुश्रवण भी ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाए।

9. चूंकि स्माल आर्म्स ट्रैफिकिंग व ड्रग ट्रैफिकिंग का गहरा सम्बन्ध अध्ययन व अभ्यास में देखा गया है इसलिये ज़रूरी है कि विवेचना व विश्लेषण के स्तर पर दोनों अपराधों पर समान रूप से कार्य किया जाए।

10. छोटे शस्त्र एवं हल्के हथियारों का प्रसार के दो मुख्य स्रोत चिन्हित किये गए हैं – वैधानिक व अवैधानिक। वैधानिक उपयोग के तौर तरीकों पर पृथक् रणनीति, नियमन व नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। अवैधानिक यद्यपि अपराध ही है। हाल के वर्षो में हथियारों की क्लोनिंग, अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति व 'कॉटेज इण्डस्ट्री मेड वीपन' का प्रसार अधिक हो रहा है। ऐसे में यह ज़रूरी है 'सेण्ट्रल टू लोकल' व 'लोकल टू सेण्ट्रल' ऐसी ऑनलाइन/जी.पी.एस./सी.सी.टी.वी. आधारित व्यवस्था हो, जिसमें केन्द्रीय सुरक्षा बल व स्टेट पुलिस फोर्स त्वरित कड़ी कार्यवाई अंजाम दे सके।

❑

सोशल मीडिया और स्मार्ट पुलिसिंग

डॉ. दलवीर सिंह गहलावत

उप निरीक्षक, दिल्ली पुलिस

1 प्रस्तावना

ऐसा महसूस किया जाता है कि जनता में असंतोष का मुख्य कारण शासक और शासित के बीच समन्वय की कमी है। जनता अपना गुस्सा तब प्रकट करती है जब उसे यह लगता है कि सरकार कानून द्वारा न चलाई जाकर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा चलाई जा रही है। इस शैली की पंक्ति में पुलिस प्रशासन अपवाद नहीं हो सकता। तत्कालीन सामाजिक नियमों के साथ चलने के लिए पुलिस को सोशल मीडिया के द्वारा समुदायों के साथ संपर्क करके, पुलिस विभाग के अधिकारियों और आम आदमी के बीच खाई कम करने के लिए एक अनुकूल निर्णयात्मक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। नि:संदेह आधुनिक पुलिस सोशल मीडिया की क्रांति के साथ एक आदर्श बदलाव की तरफ बढ़ रही है, परंतु फिर भी अभी उसे बहुत सारी चुनौतियों को पार करना है।

वह तरीका, जिससे हम संवाद करते हैं, मूल रूप से बदल रहा है क्योंकि इस पार-सांस्कृतिक संचार और उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के दौर में हम कोई भी संदेश या तस्वीर एक सेकंड के कुछ भागों में कहीं से भी पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। सूचना एवं संचार तकनीक ने दुनिया को एक 'वैश्विक गांव' के रूप में बदल दिया है, जहाँ हर चीज़ सोशल मीडिया से प्रभावित हो रही है। अधिकतर पूर्व निर्धारित नियामक प्रणाली और मूल्यों को एक-एक करके तोड़ा जा रहा है और चुनौती दी जा रही है। यही समय है जब कानून प्रवर्तन शाखा को आश्वस्त होना चाहिए कि सोशल मीडिया के साथ स्मार्ट पुलिसिंग ज़रूरी है। 'समस्या के समाधान' के क्षेत्र में सूचना और संचार तकनीक की खोज एक नई आशा प्रदान कर रही है और 'निर्णय लेने' के क्षेत्र में निष्पक्षता को भी सुनिश्चित कर रही है ताकि प्रणाली में पारदर्शिता का भरोसा दिलाया जा सके।

जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, हर पल के साथ बहुमुखी होता जाता है वैसे-वैसे अपराध एक भिन्न और नए आयाम के साथ प्रस्तुत होता है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, तफ़्तीश करने में और नए-नए आयाम, जो ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लिए लाभकारी साबित हों, खोज करने में स्मार्ट पुलिसिंग जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से ओतप्रोत हो, अपनाए। वास्तव में, जहाँ दुनिया में तकनीक का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है वहाँ पर असामाजिक तत्व भी पीछे नहीं हैं, इसलिए कानून प्रवर्तन शाखा के लिए विश्वास करना स्वाभाविक है कि विज्ञान विशेष रूप से, और वैज्ञानिक भावना सामान्य रूप से, उनके कार्य कल्पना और वैश्विक नज़रिए में हों। तकनीकी सुधार, जिसमें पुलिस नियंत्रण कक्ष का आधुनिकीकरण, क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) नेशनल इंटेलिजेंस ग्रीड और पुलिस में नई तकनीक को बढ़ावा आदि शामिल हैं। कानून प्रवर्तन शाखा के लिए आवश्यक है कि वह बदलते हुए समय के साथ कदम रखे। फोर्स का आधुनिकीकरण, विशेषकर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज़्म और पुलिसिंग के लिए तकनीकी पर भरोसा आदि अतुलनीय हो गया है। विशेष रूप से तकनीकी और आधुनिकीकरण के उन्नयन के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है। इससे भी अधिक पुलिस नियंत्रण कक्ष को उन्नयन किए जाने की आवश्यकता है। आज हमें दूसरे देशों की तर्ज़ पर अनन्य और एकीकृत आपातकालीन नंबर की आवश्यकता है।

इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ई.आर.एस.एस.) का परिचालन करने की आवश्यकता है। दूसरे राज्यों को भी मध्य प्रदेश की तरह आपातकाल में तुरंत जवाब देने के लिए डायल 100 नंबर कॉल सेंटर अपनाने की आवश्यकता है।

2 सोशल मीडिया और कानून प्रवर्तन शाखा

इस अनिश्चितता की दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चितता और अनिश्चितता बाहरी स्थिति पर निर्भर करती है और बाहरी स्थिति सीधे रूप से एक आदमी के आंतरिक मन को प्रभावित करती है। अत: यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसी स्थिति वैसे हालात। ऐसे बहुत सारे सूचक हैं जो बाहरी स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आगे चलकर एक मनुष्य के आंतरिक हालात को भी बदलने में सहायता करते हैं। सोशल मीडिया उनमें से एक है। सोशल मीडिया सेकंड के कुछ भागों में पूरी दुनिया में ऑडियो-वीडियो क्लिपिंग, विचार, तस्वीर आदि भेज देता है, जोकि लोगों की बाहरी स्थिति को प्रभावित करते हैं और आगे चलकर उनके आंतरिक हालात को उकसाते हैं और उनको निश्चित या अनिश्चित बना देते हैं। सकारात्मकता निश्चितता की तरफ और नकारात्मकता अनिश्चितता की तरफ ले जाती है।

आज हम ऐसी पीढ़ी को अनुभव कर रहे हैं या निपट रहे हैं जहाँ महात्मा गांधी के अहिंसा का कोई महत्व नहीं है। आज की पीढ़ी विक्षोभ में है और उन्होंने यह अवधारणा पाल रखी है कि बिना हड़ताल या दंगे-फसाद के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वे हमेशा बिना भय और परिणाम के प्रशासन के साथ भिड़ने को तैयार रहते हैं। बेरोज़गारी, भूख, साक्षरता उनके चेहरों पर साफ दिखाई देती है। वे सरकार के आश्वासनों में विश्वास नहीं रखते। वे ऐसा ही तुरंत जवाब चाहते हैं जैसा कि वे सोशल मीडिया से बटन क्लिक करते ही प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी पीढ़ी को हम पीढ़ी 'जेड' के नाम से पुकारते हैं। कुछ हद तक वे सही भी हैं क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया में पले-पढ़े हुए हैं जहाँ पर उनके विकल्प असीमित हैं, परंतु उनके पास समय की कमी है। वे स्क्रीन एडिक्ट हैं। इसलिए पुलिस को उनसे उसी हथियार से निपटना है जिसका वे प्रयोग करते हैं और वह हथियार और कुछ नहीं बल्कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया इंटरनेट पर आधारित-ट्विटर, फेसबुक, वर्ल्ड प्रेस, माइस्पेस, यू-ट्यूब, ब्लॉग, मैसेज बोर्ड, पॉडकास्ट्स, निंग, बलिप टीवी आदि की तरफ इशारा करता है जिनको लोग प्रयोग करते हैं।

पिछला दशक भारत में आपराधिक आंकड़ों के उत्थान का गवाह रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के तहत संज्ञेय अपराध 18, 78, 293 से बढ़कर 29, 49, 400 हो गए हैं, जो उग्र बढ़ोतरी के साथ 63% दर्ज किए गए हैं। इस बढ़ोतरी के पीछे कारण को समझने के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक बदलाव को समझना ज़रूरी है। जब से सोशल मीडिया को लोकप्रियता प्राप्त हुई है तभी से लोगों ने अपनी निजी सूचनाओं को अपने मित्रों और जानकारों में प्रकट करने की जिज्ञासा दिखाई है। सोशल मीडिया यूज़र्स अपने आप को, किसी को भी जो उनके व्यक्तिगत पेज पर आता है, दृष्टिगोचर होने के सामर्थ्य बनाते हैं। यही हालात ट्विटर यूज़र्स का है। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी व्यक्तिगत सूचनाएँ अनजाने में अपलोड कर देते हैं जो अपराधियों, उनके कर्मचारियों या पुलिस द्वारा प्राप्त कर ली जाती हैं। नीचे दिया गया चार्ट दर्शाता है कि सोशल मीडिया के अंतर्गत जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, लिंकडइन, इंस्टाग्राम और वीचैट यूज़र्स अधिक लोकप्रिय हैं और इनकी संख्या भारत में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।

अगस्त 2015 के अनुसार

फेसबुक	53 %
व्हाट्सएप	44 %
गूगल	40 %
ट्विटर	34 %
लिंकडइन	29 %
इंस्टाग्राम	19 %
वीचैट	18 %

भारत में सोशल मीडिया (1)

जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को फेसबुक पेज पर 22,964 लाइक्स हैं(2), जिसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोगों से रोड सेफ्टी, ट्रैफिक एडवाइज़री की सूचनाएँ, जैसे रूट बदलाव, नियम, रिवॉर्ड्ज़ आदि शेयर करते हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस ट्विटर पर भी मौजूद है जिसमें उसके 36, 343 फॉलोअर्स हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ट्विटरहैंडल है जिसमें 25,700 फॉलोअर्स हैं (3)

3 स्मार्ट पुलिसिंग

देश में पुलिस फोर्स की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि भारतीय पुलिस फोर्स को दो भागों में बांटा गया है।

1 सिविल पुलिस

2 आर्म्ड पुलिस

सिविल पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए, पदांकित किया गया है।

दूसरी तरफ आर्म्ड पुलिस का इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा या दंगे-फसाद या नागरिक अशांति के दौरान किया जाता है

सिविल पुलिस तफ़्तीश करने, रोज़ाना की शिकायतों को निपटाने, ट्रैफिक कर्तव्य निभाने, गश्त करने आदि का कार्य करती है और आर्म्ड पुलिस इन कामों में सिविल पुलिस की मदद करती है।

उपरोक्त पुलिस की संरचना के बारे में जानने के बाद हम कानून प्रवर्तन शाखा को कैसे स्मार्ट बनाया जा सके, ताकि यह भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके, के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्मार्ट पुलिसिंग की, जोकि कानून प्रवर्तन शाखा है, इसको कैसे स्मार्ट बनाया जा सके, जानेंगे। यह स्मार्ट पुलिसिंग है क्या? क्या यह अच्छा दिखाई देने तक सीमित है या जनता में प्रसिद्ध होना है या इनाम या पारितोषिक विजेता तक सीमित है या अपने मातहत या जनता के साथ सख़्त होना है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जेल में डालना या उनको ग़लत काम करने के लिए गोली मार देना है? हाँ, कुछ हद तक यह सब हो सकते हैं, परंतु अधिकतर यह सब स्मार्ट पुलिसिंग का भाग नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुसार स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब इस प्रकार है:-

'एस' का मतलब है .	स्ट्रिक्ट परंतु सेंसिटिव
'एम' का मतलब है .	मॉडल और मोबाइल
'ए' का मतलब है.	अलर्ट और अकाउंटेबल
'आर' का मतलब है.	रिलायबल और रिस्पांसिव
'टी' का मतलब है.	टेक्नोसेवी और ट्रेंड

शब्दकोश में 'स्मार्ट' का मतलब है, अच्छा दिखाई देना। यदि हम इसे पुलिसिंग के साथ लागू करें तो हम 'अच्छी दिखाई देने वाली पुलिस या चुस्त पुलिस' पाएँगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमारी पुलिस या पुलिसिंग वास्तव में स्मार्ट या चुस्त है? परंतु तत्कालीन समाज इससे भी कहीं ज़्यादा मांग करता है जो कि 'सक्रिय पुलिस' है या बुद्धिमान पुलिस है, जिसकी शर्तों को हमारी पुलिसिंग पूर्ण नहीं कर पा रही है। निश्चित रूप से हम चुस्त हैं, काफी चुस्त हैं, परंतु सक्रिय नहीं हैं, जोकि समाज की मांग है। हम उस किसान की तरह हैं जो अपनी राश (बाली से निकाल कर इकट्ठे किए हुए अनाज के दाने) की देखभाल करता है, परंतु हम उस चोर की तरह सक्रिय नहीं हैं जो जानता है कि किसान आधी रात के बाद सोने वाला है और जब तक किसान गहरी नींद में नहीं चला जाता, चोर दूरी पर बैठा रहता है और किसान को देखता रहता है। उसके बाद चोर उन दानों को इकट्ठा करके उठा कर भाग जाता है। किसान को इस बात का पता नहीं चलता कि चोर उसे कुछ दूरी पर बैठा देख रहा है और उसकी देखभाल भी कर रहा है। किसान अपने अनाज की और उस विशेष क्षेत्र की ही देखभाल कर रहा है, परंतु उसके पास उस ख़तरे, जो आधी रात के बाद होने वाला है, की कोई जानकारी नहीं है।

आज हमारी कानून प्रवर्तन शाखा को अधिक स्मार्ट होने की आवश्यकता है। नि:संदेह हमारी पीठ पीछे कोई आंख नहीं लगी हुई है इसलिए कहीं ज़्यादा बौद्धिक और अभिनव होना पड़ेगा। यही वह समय है जब पुलिस को पुलिस सतर्कता की दोबारा संरचना करने और चुस्त बनाने की आवश्यकता है। पुरानी मान्यताओं को तोड़ने और सतर्कता के नए माध्यम और तरीकों को अपनाना पड़ेगा। सतर्कता का सिद्धांत शारीरिक ताकत के इस्तेमाल से ज़्यादा मानसिक ताकत के इस्तेमाल पर ज़ोर देता है। चाणक्य ने ठीक ही कहा है, ''जो फोर्स के प्रयोग से संभव नहीं है वह युक्ति के द्वारा संभव हो सकता है''(4)

यह सार्वजनिक है कि आजादी के 70 साल बाद भी हम काम करने के तौर-तरीकों को लेकर बाल्यावस्था में ही हैं और हम दंगे-फसाद, डकैती, कत्ल, बलात्कार आदि के बारे में सूचनात्मक आंकड़े इकट्ठे करने में असामाजिक त्तवों को पीछे छोड़ सकें, उस स्थिति में नहीं है। आज भी हम सतर्कता के घिसे-पिटे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि उग्रवादी नई-नई तकनीक अपना रहे हैं। इस बदलते हुए समय और आधुनिक संसार की बदलती हुई तस्वीर के साथ पुलिस को भी समकालीन समाज के नियमों के अनुसार अपने काम करने के तरीकों के साथ अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना होगा। यह कहा जाता है कि आज भी एक पुलिस वाला वही करता है जिसके लिए उसे शिक्षित किया जाता है और आदेश दिया जाता है। वह यह नहीं जानता कि तत्कालीन परिस्थितियों में उससे क्या किए जाने की उम्मीद है? विवेकी पुलिस के साथ-साथ हमें सोशल मीडिया के साथ स्मार्ट पुलिसिंग की भी ज़रूरत है।

4 कानून प्रवर्तन शाखा के लिए सोशल मीडिया का महत्व

सोशल मीडिया रोज़ाना की बातचीत में सामान्य होता जा रहा है। यहाँ तक कि अपराधियों के साथ भी शामिल होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे सोशल मीडिया पुलिस की सहायता कर सकता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(क) उन पेजों को, जिनको यूज़र्स ने स्वयं अपडेट किया है, देखकर पुलिस पता लगा सकती है कि क्या उन्होंने ऐसी सूचनाओं को प्रकट किया है जो अपराध से संबंध रखती हैं।

(ख) ऐसी सूचनाओं की पुलिस द्वारा निगरानी की जा सकती है।

(ग) फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से पुलिस जनता को तफ़्तीश, सहायता की गुहार, ग़लत सूचनाओं को ठीक करना आदि के बारे में सूचित करती रहती है।

(घ) सोशल मीडिया विश्वास और आदान-प्रदान के स्तर को पुलिस और समुदाय के बीच बनाए रखने में सहायता करता है।

5 चुनौतियाँ

(क) सामान्य रूप से पुलिस के पास वह साधन नहीं है जिससे समुदायों की ऑनलाइन पुलिसिंग की जा सके। जब लोग ऑनलाइन कानून तोड़ने हैं तो एक पुलिस ऑफिसर के परंपरागत तरीके बदल रहे होते हैं।

(ख) पुलिस तफ़्तीश पिछड़ रही है। पुलिस ऑनलाइन तफ़्तीश में ज़्यादा सक्रिय नहीं है।

(ग) सोशल मीडिया के पुलिस यूज़र्स को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वे ट्विटर पर ऑनलाइन क्या संदेशा भेज रहे हैं।

(घ) कोई भी संदेश ऑनलाइन पर सेकंड में कुछ विभागों में भेज दिया जाता है और इसके बाद यह संभव नहीं हो सकता कि उसको हटा दिया जाए। इसलिए लोगों के लिए यह संभव हो जाता है कि संदेश को पढ़ें और ट्वीट करें या स्टेटस डालें जो पुलिस के लिए ख़तरनाक हो सकता है।

(ङ) पुलिस के सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए अपराधों के समाधान में सबसे बड़ी चुनौती 'वित्तीय समस्या' है।

6 सुझाव

(क) नए माध्यम को बनाने के समय-सीमा तैयार की जाए और एक योजना बनाई जाए, जिसके तहत तमाम अफ़सरों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए।

(ख) दूसरी कानून प्रवर्तन शाखा या विशेषज्ञ, जो यह जानता हो कि कौन से टूल्स विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, से सलाह ली जाए।

(ग) ऐसे व्यक्ति की तलाश की जाए, जो योजना बना सके, उसको पूरा कर सके और सोशल मीडिया प्रोग्राम आदि का प्रबंध कर सके।

(घ) ऐसी साइट्स, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर्स आदि इनके अपने नियम व शर्तें होती हैं। यूज़र्स, यहाँ तक कि पुलिस विभाग भी, जब साइन-इन करते हैं तो उसे उनके नियम-शर्तों का पालन करना पड़ता है।

(ङ) विभाग, विभागीय स्वीकृत टूल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

7 उपसंहार

उपरोक्त तथ्यों से यह साबित हो जाता है कि सोशल मीडिया पुलिसिंग का एक नया रूप तैयार कर सकता है। ऐसा रूप, जो 21वीं सदी की दुनिया के अनुरूप हो। पुलिसिंग के लिए सोशल मीडिया का वादा 'कानून प्रवर्तन के कार्य में परिवर्तन' व 'जुड़ाव' नहीं है बल्कि समुदायों के साथ गहरे संबंध से रहा है, जो हमेशा अच्छे पुलिस कार्य का भाग रहा है। सोशल मीडिया पुलिस विभाग को आदान-प्रदान का तरीका प्रदान करता है ताकि नागरिक विभाग के कार्यें, अपराधों की जानकारी, घटनाओं और जीवन के मूल्यों के बारे में जान सके। सोशल मीडिया विभाग को वार्तालाप का रूप प्रदान करता है। सोशल मीडिया टूल्स इस्तेमाल करने के लिए

एक योजनाबद्ध तरीके से विभाग वास्तव में अपनी शाखा पर नियंत्रण रख सकता है। नि:संदेह हमने धीरे-धीरे सोशल मीडिया टूल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह एक अजूबे से कम नहीं है।

1. wearesocial.com/uk/special-reports/digital-social-mobile-india-2015 Browse dated 27.2.2016

2. फेसबुक अकाउंट ऑफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस।

3. ट्विटर हैंडल ऑफ सी पी दिल्ली।

4. मेक्सिम्स ऑफ चाणक्य बाइ बी के सुरमानियम, पी 112, अभिनव पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली. 1980 ।

❑

वीमेन इन ब्लू : महिला सुरक्षा का नया रंग

डॉ. जोरावर सिंह राणावत

उदयपुर, राजस्थान

''महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है क्योंकि यह उसी तरह असंभव होगा जैसे किसी पक्षी का एक पंख से उड़ना।''

–स्वामी विवेकानंद

विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग कहलाने वाली महिलाओं की पुलिस विभाग में वर्तमान में भी अल्पसंख्यक स्थिति ही बनी हुई है। महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले अपराधों में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज हो रही है, परन्तु महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में उस अनुपात में वृद्धि दर्ज नहीं की जा रही है। देश में संभवत: प्रथम बार सन् 1933 में त्रावणकोर रियासत के पुलिस विभाग में महिला अधिकारी को शामिल किया गया तथा देश को भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी सन् 1972 में श्रीमती किरण बेदी के रूप में मिली। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अनुसार, 01 जनवरी 2017 तक देश में 1,40,184 महिला पुलिसकर्मी हैं जो देश के कुल पुलिस बल का 7.28 प्रतिशत है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र (18. 70 प्रतिशत), तमिलनाडू (11.81 प्रतिशत) तथा राजस्थान (5.93 प्रतिशत) सर्वोच्च स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2016 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 3,38,954 मामले दर्ज हुए हैं तथा यह 55.2 की अपराध दर से हुए हैं तथा पिछले वर्ष की तुलना में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हैं। उपरोक्त दोनों ही स्थितियाँ महिला पुलिसकर्मियों की वस्तुस्थिति और आवश्यकता को दर्शाती हैं। वर्ष 1996 में 'विश्व महिला दिवस' पर गठित 'महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति' ने भी अपनी छठी रिपोर्ट में पुलिस में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पदों के आरक्षण की सिफारिश की है।

भारत में विभिन्न कारणों से पुलिस की नकारात्मक व असहयोगी छवि बनी हुई है, इसलिए महिलाओं में सामान्यत: यह प्रवृत्ति बन गई है कि जब तक स्थितियाँ काबू के बाहर न हो जाएँ तब तक वे पुलिस की सहायता लेना उचित नहीं समझती हैं या महिलाओं में पुलिस से सम्पर्क करने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। ऐसी स्थिति में यदि वे महिला गश्ती दल के रूप में पुलिस को अपने इर्द-गिर्द पाती हैं तो उनके इस नकारात्मक दृष्टिकोण के बदलने की पूरी संभावना रहती है। महिलाओं तथा महिला पुलिस की उपरोक्त स्थितियों को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन शहर व संभाग मुख्यालय उदयपुर में 06 अक्टूबर 2016 को प्रदेश की मुख्यमंत्री ने देश का पहला 'महिला गश्ती दल' गठित किया। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के अनुसार- ''शहर में महिला गश्ती दल को गश्त लगाते देख जनता, विशेषकर बालिकाएँ, महिलाएँ व वयोवृद्ध महिलाएँ स्वयं को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी तथा महिलाएँ किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियों आदि के बारे में इस दल को आसानी से व खुलकर बता पाएँगी।''

इस दल के निर्माण की अवधारणा को तत्कालीन उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशील ठाकुर ने प्रस्तुत किया है। श्री ठाकुर संयुक्त राष्ट्र के दो शांति मिशनों का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने यूरोपीय देशों की पुलिस-व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया है। 'महिला गश्ती दल' की अवधारणा

इटली के नगरीय पुलिस 'पोलिज़िया म्यूनिसिपल' (Polizia Municipale) तथा चीन की नगरीय पुलिस व शांति अधिकारी 'चेंगुआन' (Changguan) से प्रेरित है। इस दल के गठन के लिए अलग से भर्ती न करके उदयपुर पुलिस बल में स्थिति महिला कार्मिकों का साक्षात्कार विधि से चयन किया गया है। साक्षात्कार में सामान्य कानून-व्यवस्था के अलावा विशेष एवं आपातकालीन परिस्थितियों में की जाने वाली कार्रवाही और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में प्रश्न पूछे गए। इस विधि से 24 महिला पुलिस कांस्टेबल्स का महिला गश्ती दल के लिए चयन किया गया। चूंकि ये सदस्य पूर्व में पुलिस बल की हिस्सा थीं अत: इन्हें सामान्य एवं आधारभूत पुलिस प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु 'महिला गश्ती दल' के रुप में इन्हें भिन्न तथा विशेष परिस्थितियों में काम करना था अत: उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना अवश्यम्भावी था। इस हेतु चयनित सदस्यों को 4 माह के विशेष प्रशिक्षण पर भेजा गया, जिसमें मोटरसाईकल चलाना, (To Drive Motor Cycles) विशेष हथियार चलाना, (To oprate special Arms) घुड़सवारी, (Horse Riding) एरॉबिक्स (Aerobics), मार्शल आर्ट्स (Martial Arts), योग, ध्यान (Meditation), वजन उठाकर चलना (To Walk with carrying the heavy weight), प्राथमिक चिकित्सा (First Aid), तैराकी (Swimming) आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण अन्तर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ द्वारा दिया गया जिसमें सिविल कमाण्डो स्टार्स मिक्स मार्शल आर्ट्स (Civil Commando Star's Mix Martial Arts), कराटे, जूडो, थाई बॉक्सिंग (Thai Boxing) जियु-जित्सु (Jiu-Jitsu), कुंग-फू (Kung-Fu) आदि का प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षित 'महिला गश्ती दल' को पुलिस की परम्परागत छवि से अलग पहचान दिलाने के लिए नेवी ब्लू रंग की यूनिफॉर्म दी गई है जो साहस, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इसे अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है जिसमें वायरलैस, ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल, स्मार्ट फोन, मॉडिफाइड मोटरसाईकल आदि शामिल हैं। मॉडिफाइड मोटरसाईकल में पुलिस की नीली-लाल बत्ती, सर्च लाइट, प्राथमिक चिकित्सा पेटी (First Aid Kit), अनुसंधान पेटी (Investigation Kit) पब्लिक एड्रेस सिस्टम (Public Address system) डंडा आदि सुविधाएँ मौजूद हैं। वर्तमान में 'महिला गश्ती दल' में एक हेड कांस्टेबल, जो कि इस दल की इंचार्ज भी है, के अलावा 21 महिला कांस्टेबल कार्यरत हैं। इस दल को मोटरसाईकल देने के पीछे यह अवधारणा रही है कि पुराने शहर की पतली-पतली गलियों, भीड़-भाड़ वाले बाज़ार, भारी यातायात, मेले, त्योहारों, रथ-यात्राओं, जुलूसों, समारोहों व पर्यटक स्थलों पर व घटना स्थल या वांछित सहायता स्थल पर अबाधित रूप व त्वरित गति से पहुँचा जा सके।

'महिला गश्ती दल' के कार्यकरण के लिए पूरे उदयपुर शहर को 5 भागों या क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है तथा प्रत्येक क्षेत्र में एक मोटरसाईकल पर 'महिला गश्ती दल' की दो सदस्य गश्त लगाती हैं। गश्त के समय को प्रारम्भ में चार-चार घण्टे की चार पारियों में विभाजित किया गया था, परन्तु संख्या बल की कमी के कारण वर्तमान में इसे आठ-आठ घण्टों की दो पारियों में विभाजित किया गया है जिसमें पहली पारी सुबह 07:00 बजे से दिन में 03:00 बजे तक व दूसरी पारी दिन में 03:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक रहती है। प्रत्येक पारी में 10 सदस्य पाँच मोटरसाईकलों पर दो-दो के जोड़े में गश्त लगाते हैं तथा एक सदस्य आरक्षित रहती है। पाँचों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हेल्पलाईन नम्बर रखे गए हैं जिन्हें स्थानीय रेडियो चैनल, अख़बार व अन्य

दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा जनता तक पहुँचाया गया है। किसी भी सहायता के लिए फोन आने पर उस क्षेत्र में गश्त कर रहा दल तुरन्त उस स्थान पर पहुँच जाता है तथा परिस्थितियों के अनुसार पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सामान्य पुलिस गश्ती दल, जिसे राजस्थान में 'चेतक' (महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम से) के नाम से जाना जाता है, को सहायता के लिए बुला लिया जाता है। इस दल के नम्बर व्हाट्सएप पर भी हैं अत: सबूत के रूप में किसी शिकायत या घटना का वीडियो या फोटो इन्हें भेजा जा सकता है। वास्तव में, 'महिला गश्ती दल' पुलिस प्रशासन की सहायक शाखा है जो घटना स्थल पर पहुँचकर अपराध को रोकने, अपराधियों को पकड़ने और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। किसी भी अपराध के विरुद्ध कार्रवाही के लिए यह दल सम्बन्धित थाने को अपराध तथा अपराध से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्रदान कर देता है तथा आगे की कार्रवाही का दायित्व सम्बन्धित थाने का रहता है।

उपरोक्त कार्यकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 'महिला गश्ती दल' की इंचार्ज हेड कांस्टेबल सुश्री कमला बुनकर की रहती है। इनका कार्य सुबह दल को क्षेत्र में भेजने से पहले मोटरसाईकल, हथियार आदि जारी करने से लेकर रात को वापस जमा करने तक रहता है। इंचार्ज दल को क्षेत्र में भेजने के साथ ही ये उनसे वायरलैस से जुड़ी रहती हैं और उन्हें समय-समय पर निर्देश व सहायता प्रदान करती हैं तथा साथ ही कार्यालय से सम्बंधित समस्त कार्यों को भी अकेले ही निपटाती हैं। इसके अतिरिक्त इंचार्ज दल की सदस्यों का उत्साहवर्धन करने, अभिप्रेरित करने, उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से योग व ध्यान भी करवाती हैं।

'महिला गश्ती दल' के गठन का प्रमुख लक्ष्य उदयपुर जैसे पर्यटन स्थल पर महिलाओं, जिनमें पर्यटक व स्थानीय महिलाएँ भी शामिल हैं, के लिए भयमुक्त व स्वस्थ वातावरण के विकास के साथ-साथ नागरिकों व पर्यटकों को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करना भी है। इस दल के कारण शहर की महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है तथा साथ ही पुलिस का प्रतिक्रिया समय भी कम हुआ है। चूँकि 'महिला गश्ती दल' उसी क्षेत्र में गश्त पर होता है अत: तुरन्त घटना स्थल पर पहुँच जाता है। इसके अलावा 'महिला गश्ती दल' निम्न उद्देश्यों को भी पूरा करता है-

- महिलाओं की अधिकता वाले स्थानों, यथा- प्रात:कालीन व सायंकालीन भ्रमण के स्थल, बालिका विद्यालय, बालिका महाविद्यालय, ख़रीददारी स्थल, मॉल, सार्वजनिक स्थल आदि पर उपस्थित रहकर या गश्त लगाकर महिलाओं में सुरक्षा व आत्मविश्वास की भावना पैदा करना।
- पर्यटन स्थलों, विद्यालयों व महाविद्यालयों, छात्रावासों के बाहर लड़कों के जमावड़े को रोकना व छेड़छाड़ जैसी गतिविधियों को समाप्त करना।
- पर्यटन स्थलों के आस-पास लगातार गश्त लगाना ताकि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, पर्यटकों को जानकारी प्रदान करना व एकल महिला पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना।
- पर्यटन स्थल होने के कारण उदयपुर में देर रात तक भ्रमण किया जाता है। अत: ऐसे समय में महिलाओं, बालिकाओं तथा पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करना।
- किसी प्रकार के अपराध की शिकायत या सूचना पर तुरन्त उस स्थल पर पहुँचना व पीड़ितों को राहत पहुँचाने के साथ-साथ अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्रवाही करना।

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, यथा- लैंगिक उत्पीड़न, चेन-स्नैचिंग, अवांछित कॉल, मैसेज, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, दुर्व्यवहार, अश्लील फ़ब्तियाँ, शराब पीकर मार-पीट आदि, की शिकायतों पर तुरन्त प्रतिक्रिया देना व कार्रवाही करना।
- अपराध नियंत्रण, जिसमें मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, गुंड़ागर्दी, शराब पीकर शांति भंग करना, निर्धारित समय के बाद शराब की दुकान खुली रखना, चोरी, ग़ैर कानूनी मोटरसाईकल रेस व स्टंट, शराब व हुक्का बार का नियमन आदि शामिल हैं।
- सड़क दुर्घटना स्थल पर तुरन्त पहुँच कर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना व उन्हें एम्बुलेंस द्वारा तुरन्त अस्पताल पहुँचाना।
- यातायात-व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना वाहनों का जाम खुलवाना।
- ज़िला पुलिस की अपराध नियंत्रण व अपराधियों को पकड़ने में सहायता प्रदान करना।
- मेले, त्यौहार, धरना, प्रदर्शन, रैलियों आदि आपातकालीन स्थितियों के समय कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने में ज़िला पुलिस की सहायता करना।

'महिला गश्ती दल' ने अक्टूबर, 2016 में गठन से लेकर जुलाई 2018 तक लगभग 529 मामलों में कार्रवाहियाँ की हैं जिनमें दुर्घटना, छेड़छाड़, अविधिक मोटरसाईकल रेस व स्टंट, लड़ाई-झगड़ा, संदिग्ध गतिविधियाँ, ग़ैर कानूनी हुक्का बार, शराबी व शराब की दुकान, चोरी, धोखाधड़ी, यातायात-व्यवस्था, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, मेला, त्यौहार, वी.आई.पी. ड्यूटी आदि से सम्बन्धित मामले शामिल हैं। इस दल के कार्यकरण व परिणामों को देखते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 के बजट में उदयपुर के लिए इनकी संख्या बल में वृद्धि कर इसे 60 करने की स्वीकृति दी है जिसमें एक निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक, दो हेड़ कांस्टेबल व 56 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके साथ ही राजस्थान के सभी सात संभाग मुख्यालयों पर इसके गठन की स्वीकृति भी दी गई है। इस क्रम में मई, 2017 में जयपुर में एक 52 सदस्यीय 'महिला गश्ती दल' का गठन किया जा चुका है।

स्वयं महिला होकर महिला सुरक्षा के लिए कार्य करने और महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के कारण इस दल की सदस्य गौरवान्वित महसूस करती हैं और कहती हैं कि वे स्वयं महिला होने के कारण महिलाओं व बालिकाओं द्वारा सहन किये जा रहे डर व घबराहट और स्वयं पर हो रहे अत्याचारों को पुलिस को बताने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, आदि से अच्छी तरह परिचित हैं। 'महिला गश्ती दल' छेड़छाड़, अश्लील फ़ब्तियों, अनचाहे कॉल व मैसेज आदि के मामलों को सुलझाने के बाद समय-समय पर इस से सम्बन्धित फीडबैक भी लेती हैं, जिससे महिलाओं व बालिकाओं में विश्वास कायम होता है तथा किसी और के साथ ऐसा कुछ घटित होने पर वे आगे चलकर इस दल को सूचित करती हैं तथा कभी-कभी सिर्फ धन्यवाद देने और अपनी प्रसन्नता ज़ाहिर करने के लिए भी बालिकाएँ कॉल करती हैं। समय-समय पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, ग़ैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों आदि द्वारा इस दल को सम्मानित भी किया जाता है तथा बालिका विद्यालयों व महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मानित करने व बालिकाओं का मनोबल बढ़ाने, आत्मरक्षा के तरीके सिखाने आदि के भी आमंत्रित किया जाता है।

'महिला गश्ती दल' को कुछ व्यावहारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है जिनमें संख्या बल की कमी सबसे अधिक समस्याओं का

प्रमुख कारण है। यद्यपि सरकार ने संख्या बल बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है, परन्तु वर्तमान में इसकी कमी के कारण कई समस्याएँ आ रही हैं। महिला होने के कारण भारतीय समाज में इन पर कई पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। संख्या बल की कमी के कारण इन्हें पर्याप्त अवकाश नहीं मिल पाते हैं जिससे पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में समस्याएँ आती हैं। साथ ही, यदि कोई सदस्य अवकाश पर चला जाता है तो उसके क्षेत्र का अतिरिक्त भार अन्य सदस्य पर आ जाता है जिससे उन्हें ज़िम्मेदारी के प्रभावी निर्वहन में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त संख्या बल की कमी के कारण इन्हें आठ-आठ घण्टे की पारियों में काम करना पड़ता है जिससे इन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें आवश्यकता पड़ने पर अन्य पुलिस गतिविधियों में भी बुलाया जाता है। इस दल को सामान्य से अलग कार्य करने पर भी अन्य कार्मिकों के समान ही वेतन मिलता है और किसी अतिरिक्त भत्ते का भी कोई प्रावधान नहीं है। महिला गश्ती दल के सदस्यों के अनुसार उनके लिए सबसे निराशाजनक स्थिति तब होती है जब वे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाही में अकेली जूझ रही होती हैं और आम नागरिक तमाशा देखते हैं और वीडियो बनाने में मशगूल होते हैं। कई बार शराबियों और अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ जाता है। ऐसे समय बनाये गए वीडियो के वायरल हो जाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाही का डर भी रहता है।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए किया गया यह प्रयोग सफल रहा है तथापि कुछ सुधार की संभावनाएँ हमेशा रहती हैं। इस दल के संख्या बल में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है जिसके लागू होने से इसके कार्यकरण को और भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। साप्ताहिक अवकाश, दल के सदस्यों के लिए अतिरिक्त भत्ते का प्रावधान, मौसम के अनुसार बरसाती की व्यवस्था आदि कुछ ऐसे छोटे सुधार हैं जो बड़े परिणाम दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोशॉक वेपन (Electroshock Weapon), जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देश की पुलिस को प्रदान किया जाता है, इन्हें प्रदान किया जाए तो विकट परिस्थितियों में पिस्टल की जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार 'महिला गश्ती दल' जैसी व्यवस्थाओं को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर सम्पूर्ण देश में लागू करने के आवश्यकता है ताकि महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके तथा महिलाओं को सुविधापूर्ण पुलिसिंग प्रदान की जा सके।

❑

पॉलीग्राफ़ी टेस्ट- एक परिचय

डॉ. ए.के. श्रीवास्तव

सहायक प्रोफ़ेसर

दिल्ली विश्वविद्यालय

पॉलीग्राफ़ी यह एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। ख़ासकर इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अपराध का पता लगाना हो। पॉलीग्राफ़ी टेस्ट मशीन को 'झूठ पकड़ने वाली मशीन' और 'लाई डिटेक्टर' के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन अगस्तस लार्सन ने 1921 ई. के अंदर की थी।

भारत में पॉलीग्राफ़ी का प्रयोग करने से पहले कोर्ट से अनुमति लेना आवश्यक है। अब तक इसका कई लोगों पर सफल प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक रिसर्च में कुछ लोग इसको भी गच्चा देने में कामयाब पाए गए। पॉलीग्राफ़ी टेस्ट के अंदर यह पता लगाने के लिए कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कई चीज़ों को परखा जाता है, जैसे व्यक्ति की हृदय गति, रक्तचाप आदि।

यदि व्यक्ति झूठ बोलता है तो इन तत्वों के अंदर बदलाव होता है, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। इसके अलावा एड्रेनालाईन हॉर्मोन की वजह से भी व्यक्ति के शरीर के अंदर बदलाव आते हैं।

झूठ का पता लगाने के लिए मशीन को व्यक्ति के शरीर से जोड़ा जाता है। उसकी हृदय गति, रक्तचाप और दिमाग़ के सिग्नल को देखा जाता है। एक प्रश्नकर्ता उससे प्रश्न पूछता रहता है। यदि वह झूठ बोलता है तो उसके दिमाग़ से एक सिग्नल P300 (P3)निकलता है और उसकी हृदय गति व रक्तचाप बढ़ जाता है जिसको कम्प्यूटर के अंदर सहेज लिया जाता है व माप लिया जाता है। एक उदाहरण से समझ लीजिए कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और फिर भी वह अपराध के बारे में कुछ जानता है तो भी उसके दिमाग़ से विशेष सिग्नल निकलेगा जिससे प्रश्नकर्ता को यह पता लग जाएगा कि यह कुछ जानता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपराध के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसके दिमाग़ से विशेष सिग्नल नहीं निकलेगा।

फ़ॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों की मदद से अपराधी/संदेहास्पद गवाहों/घटना के शिकार व्यक्तियों के अंदरूनी तथा बाहरी व्यवहार, गतिविधि, मानसिक स्थिति की व्याख्या कर उसका आकलन करते हैं तथा आपराधिक मामलों के वैज्ञानिक अनुसंधान में मदद प्रदान करते हैं।

इस प्रकार के परीक्षण से यह प्रक्रिया अनुसंधान करने वाली एजेंसियों को किसी प्रकरण विशेष, किसी व्यक्ति की उपस्थिति, जानकारी तथा किसी अपराध में लिप्त होने की सुविधा के संबंध में बताने में सहयोग प्रदान करती है।

झूठ पकड़ना एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक-सह जैविक परीक्षण है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के द्वारा दिये गए वक्तव्यों का सत्यापन एक कंप्यूटर से चलने वाले उपकरण पर किया जाता है जिसे लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ़ी कहा जाता है। यह मशीन लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ़ी निम्न स्वचालित नर्वस सिस्टम से होने वाली गतिविधियों को एक ग्राफ के रूप में मापता है। इसके लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं-

- सांस लेने में पेट का उठना-गिरना।
- गले की कंपन।
- जी.एस.आर.।
- रक्तचाप/नाड़ी चलने की गति।
- मांसपेशियों का दबाव।

- अंगुलियों की कम्पन।
- त्वचा का तापमान।

श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने (आपराधिक अपील क्रमांक 1267-वर्ष 2004) के प्रकरण में 5 मई 2010 को निम्न निर्णय दिया था-

''हम यह मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर व्यक्तिगत रूप से किसी आपराधिक मामले के अन्यत्र अन्य मामलों के संदर्भ में किसी भी प्रश्नांकित तकनीक का ज़बर्दस्ती प्रयोग न किया जाए। ऐसा किये जाने पर यह एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अनाधिकृत प्रवेश माना जाएगा। यद्यपि हम आपराधिक न्याय के संदर्भ में विभिन्न तकनीकों से किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से परीक्षण करवाने का प्रावधान रखते हैं, बशर्ते कतिपय हितों की रक्षा का प्रावधान हो। भले ही यदि किसी भी परीक्षणों से होकर गुज़रने की सहमति दे दी हो तब भी उन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर इन परीक्षणों के मध्य अपने उत्तरो/प्रतिक्रियाओं पर उसका कोई चैतन्य नियंत्रण नहीं रहता है। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों में यदि ऐसी कोई अतिरिक्त जानकारी या सामग्री मिलती है तब परिणामों, जानकारियों को इंडियन ऐवीडेंस एक्ट 1872 की धारा 27 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है।

नेशनल ह्यूमन राईट कमीशन ने इस प्रकार वर्ष 2000 में एक अपराधी पर किये गए पॉलीग्राफ़ी परीक्षण के परिप्रेक्ष्य में एक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। किसी भी नार्को एनालिसिस तकनीक या ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टीवेशन प्रोफ़ाइल टेस्ट करते समय इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

स्त्रोत- ऑल इंडिया रिपोर्टर, जुलाई 2010, पृष्ठ क्रमांक 2061-01

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश क्रमांक 117/8/97-8 में दिनांक 11.01.2000 द्वारा किसी भी अपराधी सिद्ध हुए व्यक्ति का पॉलीग्राफ़ी परीक्षण करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अनुसंधान अधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि इन दिशा-निर्देशों का पूरी गंभीरता से परिपालन, अनुशरण किया जाए। अत्यधिक महत्व के इस विषय पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद पॉलीग्राफ़ी टेस्ट करने के संबंध में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये हैं-

- झूठ पकड़ने का कोई भी परीक्षण अपराधी सिद्ध होने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना प्रयोग नहीं किया जाए। तब ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि क्या वह स्वयं का ऐसा परीक्षण करवाना चाहता है या नहीं।
- किसी व्यक्ति द्वारा पॉलीग्राफ़ी परीक्षण करने के लिए दी गई सहमति को किसी ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- मजिस्ट्रेट की सुनवाई के समय, सम्बन्धित व्यक्ति इस परीक्षण के लिए सहमत है, इस बात का प्रतिनिधित्व उसके वकील द्वारा भी किया जाना चाहिए।
- सुनवाई के समय सम्बन्धित व्यक्ति को साफ़-स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहिए कि इस परीक्षण के दौरान उसके द्वारा कहे गए शब्द या दिए गए बयान को मजिस्ट्रेट के सामने कबूलनामा नहीं माना जाएगा बल्कि उसके कहे शब्दों की स्थिति/मान्यता पुलिस के समक्ष दिए गए बयान जैसी होगी।
- मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के पॉलीग्राफ़ी परीक्षण के रोके जाने, रोके जाने के समय तथा की जाने

वाली पूछताछ, सवाल-जवाब की प्रकृति के बिन्दुओं पर विचार करेगा।

- पॉलीग्राफ़ी टेस्ट की रिकार्डिंग एक स्वतंत्र एजेंसी स्थान, जैसे कि अस्पताल में एक वकील की उपस्थिति में की जाएगी।
- प्राप्त जानकारियों का सम्पूर्ण वास्तविक तथा चिकित्सीय अभिमत का लिखित दस्तावेज़ीकरण, रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से किया जाए।

सामान्य आवश्यकताएँ

- अनुसंधान अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने राज्य की फ़ॉरेंसिक लेबोरेटरी डायरेक्टर के नाम प्रेषित मांग पत्र के माध्यम से किसी अपराधी के पॉलीग्राफ़ी परीक्षण कराए जाने के लिए तिथि की मांग करे। यह मांग/आवेदन पत्र का उसे ज़िले से पुलिस अधीक्षक या एस.डी.ओ.पी (पुलिस) द्वारा अग्रेषित किया होना चाहिए। उक्त मांग पत्र/आवेदन पत्र भेजते समय सम्बन्धित अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज़ों तथा एफ़.आई.आर., दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा लिए गए बयान, पी.एम. रिपोर्ट, घटना स्थल के भ्रमण संबंधी रिपोर्ट की फोटो प्रति, अपराध घटना स्थल का रेखाचित्र, प्रकरणका संक्षिप्त इतिहास/वर्णन तथा फोटाग्राफ़ (यदि कोई हो तो) भेजा जाना चाहिए। इन दस्तावेज़ों के आधार पर विशेषज्ञ को अपराध की प्रकृति, अपराधी की भूमिका और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बिन्दु कि अपराध को कहाँ-कहाँ और कैसे अंजाम दिया गया, मूल अपराधी के साथ और कौन-कौन सहयोगी थे, अपराध के पीछे उद्देश्य तथा उससे अन्य सम्बन्धित मुद्दे, यथा- शव को घटना स्थल से हटाना, अपराध के अस्त्र को तथा वारदात में काम में लाए वाहन को अन्यत्र करना जैसे विषयों को समझने में सक्षम कराएगा।
- अनुसंधान अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि उसे वारदात के संबंध में पर्याप्त अनुसंधान विवेचना करने तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज़ों के साक्ष्य अन्य भौतिक साक्ष्य संग्रहित करने, मोबाइल कॉल्स का विवरण, पी.एम. रिपोर्ट, चोट संबंधी रिपोर्ट, आयु प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ इकट्ठा कर लेने के बाद ही पॉलीग्राफ़ी डिविज़न की सेवाएँ लेने के लिए मांग पत्र भेजना चाहिए। उपरोक्त वर्णित संदर्भित दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता/अभाव में परीक्षणकर्त्ता के लिए यह अत्यधिक कठिन है कि सम्बन्धित व्यक्ति से परीक्षण के संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न बना सके तथा सम्बन्धित व्यक्ति के बयानों में विपरीतता, विभिन्नता को स्पष्ट कर सके।
- सम्बन्धित फ़ॉरेंसिक प्रयोगशाला सम्बन्धित अन्वेषण अधिकारी से चर्चा के बाद परीक्षण के लिए निर्धारित की गई तिथि के सम्बन्ध में सूचित करेगी। फ़ॉरेंसिक प्रयोगशाला में कार्यरत प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों, प्राप्त रिकॉर्ड्स, दस्तावेज़ों की प्रतियों को पूरी तरह पढ़ने समझने के बाद परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार करेगा तथा पॉलीग्राफ़ी परीक्षण हेतु तिथि निर्धारित कर सूचित करेगा।
- अनुसंधान अधिकारी को राज्य की फोरेंसिक प्रयोगशाला में सम्बन्धित विशेषज्ञ से चर्चा के लिए और उसके बाद होने वाले परीक्षण के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलना होगा। किसी भी परिस्थिति में अनुसंधान अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को विशेषज्ञ से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- पॉलीग्राफ़ी परीक्षण करवाने के लिए तिथि निश्चित करवाने के पहले अनुसंधान अधिकारी

को घोषणा पत्र देना होगा कि उसने भारतीय संविधान की धारा 20(3) के प्रावधानों के अंतर्गत सम्बन्धित व्यक्ति (अपराधी) के उक्त पॉलीग्राफ़ी परीक्षण करवाने के लिए सहमति प्राप्त कर ली है। प्राय: यह देखा गया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को उसके होने वाले पॉलीग्राफ़ी परीक्षण के बारे में पहले से सूचित नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, परीक्षण विशेषज्ञ को परीक्षण के समय सम्बन्धित व्यक्ति से सहमति प्राप्त करने में बहुत समस्या आती है। इस कारण से प्राय: सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा अनुसंधान अधिकारी को असुविधा तथा समय की बर्बादी होती है।

- सिर्फ नामांकित व्यक्ति का ही विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित तारीख़ तथा समय पर परीक्षण किया जाएगा। यदि अपराध में एक से अधिक व्यक्ति सम्बन्धित है तब अतिरिक्त व्यक्तियों के परीक्षण के लिए अलग से तिथि लेनी होगी।
- जैसा कि पॉलीग्राफ़ी परीक्षण एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक सह शारीरिक परीक्षण होता है, अत: ऐसे परीक्षण के पूर्व परीक्षण की तिथि के दिन अभियुक्त को लंबी यात्रा से बचना चाहिए। सम्बन्धित व्यक्ति को परीक्षण के लिए पर्याप्त आराम करने का मौक़ा तथा भोजन कराना चाहिए ताकि परीक्षण के गुणात्मक परिणाम सुनिश्चित हो सकें।
- यदि किसी महिला अभियुक्त का पॉलीग्राफ़ी परीक्षण होना हो तो उस महिला के साथ महिला गार्ड/सिपाही का पूरे समय तथा परीक्षण के समय भी साथ रहना चाहिए।
- सभी अवयस्क अभियुक्तों के साथ उनके माता-पिता/अभिभावकों को अनिवार्य रूप से साथ रहना चाहिए तथा सहमति पत्र पर माता-पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होने चाहिए।
- यदि पॉलीग्राफ़ी परीक्षण में एक से अधिक दिन का समय लगने वाला हो तब ऐसी अवस्था में अनुसंधान अधिकारी को अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। साथ ही साथ, उसे अभियुक्त की सुरक्षा की भी व्यवस्था करनी होगी।
- सम्बन्धित मशीन के समक्ष पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न के बाद 25 सेकेंड के ठहराव के बाद दूसरा प्रश्न पूछा जाए। इस समयावधि के अंतराल की अनुमति इसलिए दी जाती है ताकि अभियुक्त के ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के सहानुभूति- पैरा सहानुभूति के अवयव सामान्य होकर पुन: सक्रिय हो सकें। चार्ट पर मार्किंग प्रश्न समाप्ति के समय ही की जाए। उसके साथ ही अभियुक्त द्वारा दी गई प्रतिक्रिया/उत्तर को भी दर्शाया जाए। (मैन्युअल पॉलीग्राफ़ी उपकरण में इसकी आवश्यकता होती है)

सीमाएँ - कम सुनने वाले, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति अथवा अत्यधिक उच्च रक्तचाप, अस्थमा पीड़ित या गर्भवती महिलाओं पर पॉलीग्राफ़ी परीक्षण नहीं किया जा सकता है।

❑

मध्यप्रदेश पुलिस में 'डायल-100' की महत्ता एवं उपयोगिता (सागर ज़िले के विशेष संदर्भ में)

श्री रुपेश कुमार उपाध्याय
शोधार्थी, अपराधशास्त्र
सागर, मध्यप्रदेश

सामान्य परिचय

देशभक्ति-जनसेवा के मूल को धारण करते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने समाज के अन्तिम पीड़ित को तत्काल सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 'डायल-100 योजना' का शुभारम्भ किया। यह अध्ययन ज़िला पुलिस नियंत्रण कक्ष (DPCR), डायल-100 के ज़िला प्रभारी सहित विभिन्न थानों के प्रभारियों, कर्मचारियों, प्रतिक्रिया वाहन स्टॉफ और प्रायोगिक जनता की प्रतिक्रिया पर आधारित है। मध्यप्रदेश डायल-100 भारत की पहली और सबसे बड़ी एकीकृत आपातकालीन पुलिस प्रतिक्रिया सेवा है। यह सेवा 100 नम्बर डायल करते ही प्राप्त होती है।

मध्यप्रदेश प्राचीन '100' डायल सेवा

'पुलिस सुरक्षा के लिए, सुरक्षा विकास के लिए, विकास जनता के लिए, बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के' यह पंक्ति बहुत सी शंकाओं का समाधान करती है। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में आधार स्तर पर 'आरक्षक' एवं सर्वोच्च स्तर पर 'पुलिस महानिदेशक' का पद होता है। पुलिस-व्यवस्था को प्रभावशाली रूप से सकुशल संचालन के लिए विभाग में मुख्यत: दो शाखाएँ होती हैं। पहला, कानून एवं व्यवस्था (Law & Order) विभाग द्वारा दूरसंचार विभाग, जो रेडियो, राडार, वायरलेस आदि का संचालन करता है। कानून-व्यवस्था को साधारण से अच्छा एवं अच्छा से उत्तम बनाए रखने के लिए किसी भी घटना, संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना देने, तात्कालिक पुलिस सहायता आदि के लिए पुलिस विभाग के द्वारा टॉल फ्री नं. '100' जनहित में जारी किया गया। '100' नम्बर चौबीस घंटे कार्यरत पुलिस की सहायता की सहायता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित नेटवर्क क्षेत्र के थाने में फोन से पुलिस सम्पर्क हो जाता था। इस नम्बर के प्रयोग में कई बार फोन से तात्कालिक सम्पर्क न हो पाना, नेटवर्क की समस्या, सम्पर्क के बावजूद ठीक से बात न हो पाना, फोन उठाने वाले पुलिस अधिकारी की वैयक्तिक की मानसिक स्थिति नहीं पता होती थी कि वह किसी और घटना से थका आया है और तत्काल घटना स्थल पर पहुँचने के असमर्थ हो आदि जो कि स्वाभाविक समस्याएँ थीं। फलस्वरूप, फोन द्वारा पीड़ित का पुलिस से सम्पर्क न होने से पीड़ित के मन में पुलिस के प्रति अविश्वास और कुण्ठा की भावना आती थी। प्राचीन '100' में निम्न समस्याएँ प्रमुखता से थीं-

- प्रशिक्षित पुलिस स्टॉफ नहीं/फोन का न उठना।
- पुलिस स्टॉफ, पर्यवेक्षक एवं पुलिस वाहनों की कमी।
- प्रौद्योगिकी दक्ष पुलिस स्टॉफ एवं मॉनीटरिंग की कमी।
- कार्य में गुणवत्ता हेतु पीड़ित द्वारा फ़ीडबैक का प्रावधान नहीं।

आधुनिक डायल '100' : 100 लगाओ पुलिस बुलाओ

• 'डायल-100' की पुरानी व्यवस्था में पुलिस कर्मियों एवं वैश्वीकरण और इण्टरनेट के कालखण्ड में भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान म.प्र. पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक (दू.सं.) श्री अन्वेष मंगलम जी को बहुत पहले हो गया था, जिसके फलस्वरूप म.प्र. राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर 2015 को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रदेश की राजधानी भोपाल में डायल-100 योजना एक साथ सात ज़िलों में प्रारम्भ की गई। इसके बाद यह पूरे ज़िले में प्रभावी रही। डायल-100 की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए दो स्तर पर नियंत्रण कक्ष हैं। पहला, राज्य कण्ट्रोल रूम, पुलिस दूरसंचार मुख्यालय भोपाल, जिसके अनुरूप प्रतिदिन लगभग 25-26 हज़ार फोन आते हैं और दूसरा प्रत्येक ज़िले में ज़िला पुलिस नियंत्रण कक्ष में डायल-100 नियंत्रण कक्ष। इस व्यवस्था में 100 नम्बर पर फोन करने पर शत-प्रतिशत प्रत्योत्तर दिया जाता है एवं समस्या का निराकरण कॉलर की संतुष्टि तक किया जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. सागर ज़िले में 'डायल-100' की व्यवस्था, समस्याएँ एवं समाधान का अध्ययन करना।

2. 'डायल-100' से जनता एवं पुलिस व्यावहारिकता का अध्ययन करना।

म.प्र. 'डायल-100' की व्यवस्था : एक दृष्टि में

1. म.प्र. डायल-100 योजना के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदेश के समस्त 51 ज़िलों में एक हज़ार अत्याधुनिक वाहन तैनात हैं जो डायल-100 पर सूचना प्राप्त होते ही घटना स्थल पर तत्काल (शहरी क्षेत्र में अधिकतम समय सीमा 05 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट) पहुँचने हेतु तैयार रहते हैं।

2. प्रत्येक अत्याधुनिक वाहन, जिसे FRV (First Response Vehicle) कहते हैं, जो ज़िले में प्रत्येक थानान्तर्गत होते हैं।

3. डायल-100 राज्य नियंत्रण कक्ष (SPCR) में CAD, GPS, GIS, Voice log आदि सुविधाओं सहित 110 सीटों के अत्याधुनिक कॉल सेण्टर स्थापित हैं। कॉल करने वाले व्यक्ति को 'कॉलर' कहते हैं, जिनकी समस्याओं को प्रथमतः प्राप्त करने के लिए 125 टेलीफोन लाइन कॉल रिवीवर 24 घंटे अनवरत समर्पित हैं। इन सबका सम्बन्ध एक साथ सम्बन्धित ज़िला नियंत्रण कक्ष एवं FRV स्टॉफ के साथ रहता है।

सागर ज़िला एवं डायल-100

मध्यप्रदेश राज्य के हृदय में स्थित सागर ज़िला $23^0 10'$ से $24^0 27'$ उत्तरी अक्षांश में और $78^0 50'$ पूर्वी दक्षांश से $79^0 21'$ पूर्व देक्षांश में स्थित है। यह क्षेत्र बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसकी लम्बाई 169 कि.मी. पूर्व से पश्चिम और क्षेत्रफल 10,252 वर्ग कि.मी. है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, सागर ज़िले की कुल जनसंख्या 23,78,458 है जिसमें 12,56,257 पुरुष एवं 11,22,201 महिलाएँ हैं जिनकी सेवाएँ सागर ज़िले में कुल 35 पुलिस थानों में 10 थाना सागर क्षेत्र के अन्तर्गत हैं जिसमें सात पुलिस भाग 'लॉ एण्ड ऑर्डर' थाना हैं जिसके अन्तर्गत 08 FRV कार्यरत हैं। सागर ज़िले में डायल-100 की व्यवस्था को सुचारु एवं व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ज़िला

नियंत्रण कक्ष में डायल-100 नियंत्रण कक्ष है जहाँ SPCR से लगातार 24 घंटे सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है। DPCR से FRV और कॉलर से संयुक्त रूप से सम्पर्क किया जाता है। डायल-100 वाहन टीम में वाहन, उसमें तैनात पायलट एक संस्था भारत विकास ग्रुप के द्वारा सहयोगी है जिसमें एक स्क्रीन (MDT) के माध्यम से पीड़ित की सूचना को स्क्रीन पर देखा जाता है। एक वायरलेस सेट, एक मोबाइल और आपातकालीन सहायता के लिए रस्सी, हथौड़ा, फर्स्ट एण्ड बॉक्स से लैस FRV में थानान्तर्गत एक सहायक उ.नि. (ASI) या प्रधान आरक्षक रैंक का अधिकारी और एक आरक्षक अपनी प्रत्येक 08 घंटे की ड्यूटी में पीड़ित की मदद करते हैं।

पीड़ित एवं पुलिस सम्पर्क व्यवस्था

किसी भी व्यक्ति द्वारा 100 नम्बर पर कॉल करते ही SPCR भोपाल में 125 तकनीक प्रशिक्षित में से किसी एक ग़ैर पुलिस कर्मचारी (कॉल टेकर) द्वारा कॉलर की पूरी बात बहुत शालीनता से सुनी जाती है एवं बात करते समय ही कॉलर की जानकारी को कॉल टेकर अपने मॉनीटर से डिस्पैचर डेस्क को स्थानांतरित कर देता है। डिस्पैचर डेस्क में सभी कर्मचारी तकनीक प्रशिक्षित पुलिस कर्मचारी/अधिकारी होते हैं, जो घटना की जानकारी को सम्बन्धित DPCR एवं FRV को MDT के माध्यम से एक साथ भेज देते हैं। कॉल करने से लेकर FRV टीम तक सूचना पहुँचाने में केवल 01 से 02 मिनट समय लगता है। सूचना प्राप्त होते ही FRV टीम कॉलर के मोबाइल नम्बर, जो MDT पर प्रदर्शित होता है, से सम्पर्क करती है और घटना स्थल पर रवाना हो जाती है। कॉलर द्वारा कॉल करते ही प्रत्येक कॉलर की एक ID स्वत: बन जाती है, जिसके माध्यम से पूरी प्रक्रिया संचालित होती है एवं भविष्य में कभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पीड़ित की समस्या का समाधान (सकारात्मक/नकारात्मक) एवं कार्रवाही होने पर डायल-100 टीम द्वारा Action Taken Report (ATR) भरी जाती है। 24 घंटे बाद कॉलर से पुलिस कार्यप्रणाली की गुणवत्ता का फीडबैक SPCR द्वारा कॉलर को फोन करके प्राप्त किया जाता है।

ज़िले में FRV Tracking और Reporting के लिए DPCR डायल-100 नियंत्रण कक्ष में 'डैशबोर्ड' है। इस प्रणाली के साथ कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी अपने आईडी एवं पासवर्ड के द्वारा किसी भी सम्बन्धित FRV की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है एवं रिपोर्ट तैयार कर सकता है, जिसकी कार्यप्रणाली अधोलिखित हैं-

- वेब पोर्टल पर इंटरनेट के माध्यम से साइन-इन करना।
- लॉग-इन के बाद डायल-100 पोर्टल स्क्रीन पर निम्न बिन्दुओं के द्वारा कार्य विभाजन होता है-

1. **Incident Dashboard :** कॉलर की आईडी के द्वारा संख्यात्मक जानकारी।
2. **FRV Dashboard** : FRV की लोकेशन GIS के माध्यम से संचालन।
3. **Incident Analysis :** प्राप्त सूचनाओं को GIS Tag किया जाता है, जिससे म.प्र. राज्य में स्थान विशेष में अपराधों का घनत्व अधिक ज्ञात किया जाता है।
4. **Telephone Directory :** डायल-100 व्यवस्था से सम्बन्धित सभी अधिकारियों के आपातकालीन सेवा नम्बर ज्ञात करने के लिए।

डायल-100 पर कॉलर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विभाजन दो स्तर पर होता है। प्रथम, डायल-100 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सूचनाएँ, जैसे-सामान्य अपराध, गंभीर अपराध। इनकी संख्या वर्तमान में 291 प्रकार में विभाजित है। द्वितीय, FRV कार्यक्षेत्र से बाहर की घटना, जिन्हें Non-FRV इवेंट कहते हैं। इनकी संख्या 52 है जिसकी सूचना सीधो पुलिस अधिकारी/उच्चाधिकारी, जैसे-SDOP, CSP, Add. SP, SP को स्थानांतरित की जाती है।

सागर ज़िले में डायल-100 पर प्राप्त होने वाली घटनाओं में इवेंट्स के आधार पर विभाजन किया जाता है। प्राप्त इवेंट्स के आधार पर एक माह में घटित घटनाओं का विश्लेषण सारणी एवं ग्राफ के माध्यम से किया गया है।

सारणी 1 : सड़क दुर्घटना

क्र	दुर्घटनाओं के प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	प्रतिशत
1.	एकल दुर्घटना	401	95.7%
2.	बहुत घायल	18	4.3%
3.	मृत्यु	00	00%
	कुल योग	**419**	**100%**

प्रस्तुत सारणी एवं ग्राफ के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि सागर ज़िले में यातायात-व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक घटनाएँ 95.7 प्रतिशत एकल दुर्घटना की हुई हैं।

सड़क दुर्घटना

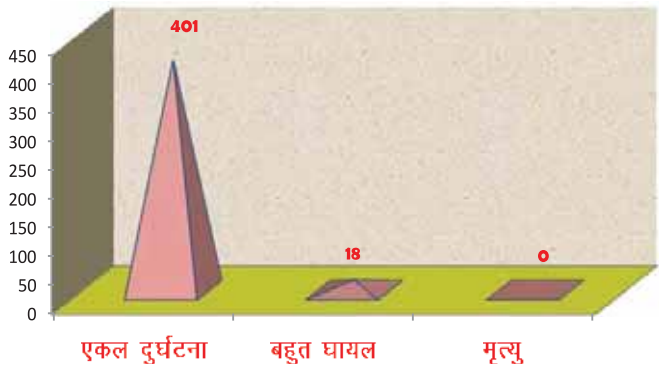

सारणी 2 : बच्चों के बारे में

क्र.	दुर्घटना का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	प्रतिशत
1	लावरिस नवजात शिशु	02	5.7%
2	बच्चे की प्रताड़ना	06	17.1%
3	बंधुआ बच्चा	01	2.8%
4	चाइल्ड हेल्प लाइन	00	0%
5	बाल विवाह	12	34.2%
6	बाल तस्करी	01	2.8%
7	खोया बच्चा	13	37.1%
	कुल योग	**35**	**100%**

प्रस्तुत सारणी एवं ग्राफ के माध्यम से बच्चों से सम्बन्धित घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार निर्धारित समय में सर्वाधिक घटनाएँ 37.1 प्रतिशत 'खोए बच्चे' के बारे में दर्ज की गई हैं।

सारणी 3 : बुजुर्ग व्यक्तियों से सम्बनधी

क्र	अपराध का प्रकार	अपराधों की संख्या	प्रतिशत
1	बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ प्रताड़ना	69	100%
	कुल योग	**69**	**100%**

प्रस्तुत सारणी में 'बुजुर्ग व्यक्तियों से सम्बन्धित' घटनाओं का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, निर्धारित समय में कुल घटनाएँ 100 प्रतिशत 'बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ प्रताड़ना' के बारे में दर्ज की गई हैं।

सारणी 4 : क्राइम बॉडी

क्र.	दुर्घटना का प्रकार	दुर्घटनाओं की संख्या	प्रतिशत
1	फिरौती के लिए अपराध	00	0
2	एसिड अटैक	00	0%
3	मृत शरीर	12	0.8%
4	फाउल स्नेश हाउस	00	0%
5	गृह ट्रेसपास	32	2%
6	गंभीर चोट	111	6%
7	साधारण चोट	1366	80%
8	पुरुष अपहरण	06	3%
9	सामूहिक हत्या	00	0%
10	हत्या	38	2%
11	हत्या का प्रयास	34	2%
12	घर में बंद कर मारपीट करना	02	0.1%
13	आत्महत्या का प्रयास	00	0%
14	आत्महत्या की गई	104	7%
15	अप्राकृतिक कृत्य	01	0.5%
	कुल योग	**1706**	**100%**

प्रस्तुत सारणी एवं ग्राफ से यह दृष्टव्य है कि निर्धारित समय में अत्यधिक घटनाएँ 'साधारण चोट' की 80 प्रतिशत हैं वहीं उसके बाद आत्महत्या की घटना 6.09 प्रतिशत दर्ज की गई हैं।

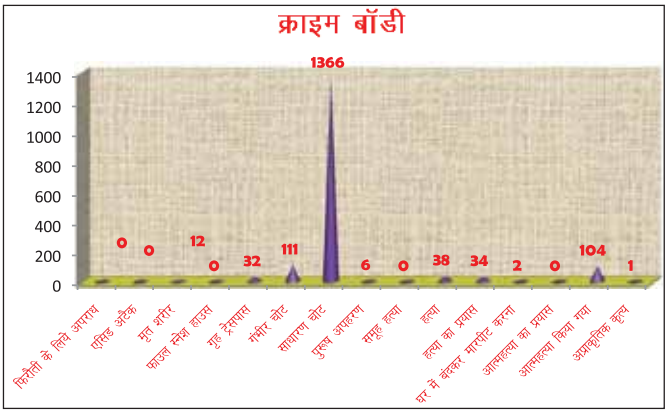

'डायल-100' संचालन में कतिपय समस्याएँ एवं सुझाव

प्रस्तुत खण्ड में पुलिस विभाग की व्यवस्थाओं, कार्यप्रणाली एवं पीड़ित, जिसने डायल-100 का उपयोग किया उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर समस्याएँ एवं सुझाव प्रस्तावित हैं। आपदा एवं विपत्ति के क्षणों में पीड़ित को तत्काल पुलिस सहायता प्रदान करना, अपराधों की यथासम्भव रोकथाम करने के उद्देश्य से डायल-100 का शुभारंभ किया गया। सागर ज़िले में अधिकांशतः ग्रामीण जनसंख्या है। पीड़ित से सर्वप्रथम सम्पर्क करने वाला पुलिस पक्ष FRV स्टॉफ ही होता है। घटनास्थल पर उचित कार्रवाही के साथ ही पीड़ित या आरोपी, दोनों को अस्पताल भी पहुँचाती है। सम्पूर्ण प्रक्रिया संचालन में आने वाली कतिपय समस्याएँ एवं सुझाव बिन्दुबार हैं-

- अनेक बार जनता द्वारा बहुत छोटी-सी बात पर भी 100 नम्बर डायल कर दिया जाता है, जैसे-किसी के घर के सामने किसी के द्वारा चारपाई बिछाने पर, घर का पानी गिरने पर आदि। इससे FRV अन्य गम्भीर घटनाओं में समय से नहीं पहुँच पाती है। अतः जनता को समझदारी दिखानी चाहिए।
- SPCR में अनेक कॉलर, कॉल टेकर से व्यक्तिगत बातें करते हैं एवं मौज-मस्ती का

साधन समझते हैं। विशेषकर युवाओं को एक ज़िम्मेदार एवं सभ्य नागरिक होने पर परिचय देना चाहिए।

- आगज़नी की घटनाओं में FRV ठीक तो घटना स्थल पर निर्धारित समय में पहुंच जाती है, परन्तु फायर ब्रिगेड स्टाफ प्रायः घटना के विकराल रूप होने के बाद पहुँचता है। इसका कारण वाहन, पानी की कमी या घटना की अधिकता भी हो सकती है। अतः इस प्रकार की घटनाओं में अग्निशमन विभाग को तैयार रखने के लिए सरकार को ध्यान देना होगा एवं जनता को मानवता की दृष्टि से पीड़ित की मदद करनी चाहिए।
- पुलिस कार्यप्रणाली में कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता से वास्तविक पीड़ित को राहत एवं सहायता नहीं मिल पाती। एक मानव को अपने ही समाज में कानून का उल्लेख करने वाले मानव को पकड़कर उसे ठीक करके पुनः समाज में स्थापित करने के लिए पुलिस अधिकारी वर्दी पहनकर ज़िम्मेदारी निभाते हैं। अतः सभी से इसकी अपेक्षा की जाती है कि निष्पक्ष भाव से सबका सहयोग करें।
- कुछ शिकायतकर्ता अपने पक्ष में बढ़ा-चढ़ाकर शिकायत करते हैं ताकि अनावेदक को अधिकाधिक पुलिस प्रताड़ना झेलनी पड़े। ऐसा किसी को कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि यह स्थिति विपरीत अवस्था में भी हो सकती है।

निष्कर्ष एवं उपसंहार

उपर्युक्त समस्त विवेचनाओं का उद्देश्य पुलिस की जनता के प्रति उत्तरदायित्वों, कार्यप्रणाली एवं समस्याओं का वैज्ञानिक रूप प्रस्तुत करता है। पुलिस हमारे ही समाज के कानूनी ज़िम्मेदारी युक्त व्यक्ति है। जनता के साथ पुलिस का संबंध मैत्रीपूर्ण होता है। व्यवस्था को और अधिक लचीला और प्रभावी बनाने के लिए सागर में 12 अत्याधुनिक FRV बाइक्स अभी हाल ही में तैनात की गई हैं जो MDT लैस हैं। समाज में प्रभावी एवं मैत्रीपूर्ण कार्य के लिए म.प्र. डायल-100 को विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे-Geospatial World Excellence Award, Hexagon Safety & Infrastructure Icon Award-2017 आदि भी प्राप्त हुए हैं, मई 2017 में फिक्की (FICCI) द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड, स्कॉच अवार्ड आदि अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है।

Abbreviation

SPCR : State Police Control Room
DPCR : District Police Control Room
FRV : First Response Vehicle
MDT : Mobile Data Terminal
GIS : Geographical Information System
CAD : Computer Aided Dispatch
GPS : Global Positioning System

सन्दर्भ

1. सक्सेना, अमित (संपा.), डायल-100 निर्देशिका, म.प्र. पुलिस दूरसंचार मुख्यालय, भोपाल

2. उपाध्याय, रुपेश (2018), डॉयल-100 की व्यवस्था, संचालन व कार्य में आनेवाली समस्याएँ एवं उपयोगिता, सागर मध्यप्रदेश, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सागर (म.प्र.)

3- http://www.grantthornton.in/insights/case-study/dial-100-project-madhya-pradesh/

4- https://www.bhaskar.com/mp/sagar/news/now-dial-100-directly-in-the-fleet-of-police-053510-3139117.html

❑

पुलिस की सफलता : उसका व्यक्तित्व एवं सकारात्मक सोच

डॉ. चन्द्रप्रभा जैन

सहायक प्राध्यापक

सागर, मध्यप्रदेश

व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य व्यवहार अपने व्यक्तित्व के अनुसार ही करता है। व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्ति के सभी दृश्य-अदृश्य, आंतरिक एवं बाह्य गुण। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है और इसके लिए व्यक्ति या तो अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपना कार्य करता है या कार्य के अनुसार अपने व्यक्तित्व में, अपनी सोच में या कार्य के तरीकों में परिर्वतन करता है। इसीलिए व्यक्तित्व को एक गतिशील (Dynamic) प्रक्रम माना गया है। पुलिस के कार्य जोखिमपूर्ण तथा अनिश्चितता से घिरे होते हैं तथा पुलिस के कार्यों की कोई सीमा नहीं होती। वैसे सैद्धांतिक रुप से पुलिस के निम्नांकित तीन कार्य होते हैं-

1- अपराधों की रोकथाम

2- अपराध अनुसंधान

3- शांति-व्यवस्था बनाए रखना

शांति-व्यवस्था के रुप में पुलिस को समाज की सुरक्षा के लिए उन सभी कृत्यों को नियंत्रित करने का काम भी करना होता है, जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। समाज की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था के लिए बनाये गए नियमों का पालन जन सामान्य से करवाना पुलिस का ही दायित्व है। समाज की प्रत्येक यूनिट अपनी हर समस्या का हल पुलिस से ही चाहती है। अपनी प्रत्येक अपेक्षा की पूर्ति भी पुलिस से ही चाहती है, चाहे वो कार्य प्रत्यक्ष रूप से पुलिस उत्तरदायित्व से जुड़ा हो या न जुड़े हों। हर बार एक नई परिस्थिति में रह कर पुलिस को काम करना पर सकता है, तब भी पुलिस अपनी तत्परता से अपनी प्रत्येक जबाबदेही को पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन जिस समाज के लिए पुलिस काम करती है जब उसी समाज का सहयोग पुलिस को नहीं मिलता तो उसके रास्ते में मुश्किलें आने लगती हैं। इससे भी बड़ी परेशानी उस समय महसूस होती है जब जन सामान्य का विश्वास पुलिस पर नहीं रहता, तब धीरे-धीरे पुलिस में नकारात्मकता पनपने लगती है। नकारात्मक सोच हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है।

दूसरी बात पुलिस को आधिकांशतः नकारात्मक भूमिका के साथ जनता के बीच जाना होता है। चाहे किसी अपराध की विवेचना हो, भीड़ नियंत्रण हो, चक्का जाम हो या फिर किसी भी प्रकार की विधि विरुद्ध कार्रवाही हो, उसे नियंत्रित करना ही होता है। पुलिस जिस किसी के भी कार्य को नियंत्रित करती है, वही इसे अपना विरोधी मान लेता है। परस्पर विरोध का वातावरण नकारात्मकता को बढ़ाता चला जाता है। इससे व्यक्तित्व मे विचलन आने की सम्भावना बढ़ जाती है तथा ये सब एक पुलिस अधिकारी की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सफलता के लिए व्यक्तित्व का सहज, संतुलित एवं संवेदनशील होना जरुरी है।

एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में मन के दो स्तर होते हैं-

1-चेतन मन (Concious mind)

2- अवचेतन मन (Sub-Concious Mind)

चेतन मन हमारे मन का वह स्तर होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है,

किसी बात का या तथ्य का विश्लेषण करता है तथा निर्णय लेता है। वर्तमान परिस्थिति में सोच-समझ कर, जान-बूझकर किया गया कार्य व्यवहार व्यक्ति के चेतन मन का परिणाम होता है।

अवचेतन मन हमारे मन का वह स्तर होता है जिसमें हमारे संवेग, आदतें, विश्वास, आस्था, भावनाएँ हमारी यादें एवं संवेदनाएँ होती हैं। चेतन एवं अवचेतन मन पर हुए अध्ययन ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने मन के चेतन स्तर का उपयोग मात्र 10 प्रतिशत तथा अवचेतन स्तर का 90 प्रतिशत उपयोग करता है अर्थात् हमारा अधिकांश कार्य व्यवहार, हमारा जीवन हमारे अचेतन मन से ही चलता है। किसी भी कार्य-व्यवहार को बार-बार करने से वह हमारी आदत बन जाता है और हमारा व्यवहार निर्भर करता है। एक स्वाभाविक-सी जिज्ञासा हमारे मन में आती है कि जब हमारा अवचेतन मन इतना प्रभावकारी है तो हम कैसे जानें कि हमारा अवचेतन मन कैसा है तथा यह हमारे व्यक्तित्व, हमारे कार्य-व्यवहार एवं जीवन को किस तरह प्रभावित करता है? इसको जानने की कई तकनीकें हैं, जिसमें से एक प्लेसिबो इफेक्ट तकनीक है। प्लेसिबो इफेक्ट (Placebo Effect) को जानने के लिए अध्ययनकर्ताओं ने एक ही बीमारी से पीड़ित बहुत सारे लोगों को लिया और उन्हें दो समूहों में विभाजित कर लिया। एक समूह को बीमारी दूर करने वाली दवा दी तथा दूसरे समूह को उस दवा की ही तरह दिखने वाली शक्कर की गोलियाँ दी गईं तथा मरीज़ों से यह कहा गया कि ये उसकी बीमारी को ठीक करेंगी। कुछ दिनों बाद परीक्षण करके देखा गया तो पाया कि दोनों ही समूहों की रिकवरी समान हुई थी। इससे यह प्रमाणित हुआ कि बीमारी के ठीक करने में यहाँ पर दवा की कोई विशेष भूमिका नहीं थी बल्कि लोगों को सोच का, उनके विश्वास का कमाल था कि वे सोच रहे थे कि वे जो दवा खा रहे हैं, उससे वे अच्छे हो जाएँगे। और वे अच्छे हो भी गए। यह है हमारे विश्वास एवं सकारात्मक सोच का परिणाम। व्यक्ति जैसा सोचता है, उसके जीवन में वैसा ही कुछ होना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसा ही हमारी दिन-प्रतिदिन की ज़िंदगी में होता है। जब हम किसी कार्य में एक बार पूरी तरह सफल नहीं हो पाते और फिर वही कार्य हमें दूसरी बार करना होता है तो हम डर जाते हैं। हमें लगता है कि यह हमसे नहीं हो पाएगा। हमारा मन पुराने अनुभव पर चला जाता है। हम हमारे काम पर इतना ध्यान नहीं देते जितना ध्यान हम हमारी पुरानी असफलता पर देते हैं और हम पुनः असफल हो जाते हैं जबकि हमें सोचना यह चाहिए कि मुझे एक बार कार्य का अनुभव हो गया है। अब मेरे सामने कोई भी मुश्किल आए, मैं डरने या रुकने वाला नहीं हूँ। मैं हर मुश्किल को पार करके आगे निकल जाऊँगा। यह सोच हमारे अंदर आत्म विश्वास को बढ़ाएगी। और हमारी सफलता का स्तर बढ़ जाएगा।

हमारा अवचेतन मन (Sub Concious mind) हमारी सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच का निर्धारक होता है। एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में यही अंतर होता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है। अवचेतन मन की पॉवर इतनी अधिक होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को जिस दिशा में चाहें, ले जा सकते हैं। जो पाना चाहें, पा सकते हैं।

अब हमारे लिये यह जानना ज़रूरी है कि हम हमारी सफलता, हमारे उत्थान के लिए अपने अवचेतन मन की पॉवर का उपयोग कैसे करें? थोड़ा-सा ध्यान दें तो यह बड़ा आसान है।

जिस तरह हम सुबह-सुबह अपने आप को बहुत ताक़तवर महसूस करते हैं, सबसे ज़्यादा ताज़गी महसूस करते है। फिर धीरे-धीरे हमारे शक्ति-स्तर में

परिवर्तन आने लगता है। उसी तरह हमारे अवचेतन मन का भी समय चलता है। अवचेतन अर्थात् चेतन के बाद का, अर्थात् जब हमारा चेतन मन अपनी सक्रियता को कम करने लगता है तब हमारा अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है और यह समय है रात्रि में सोने के पहले के 5–10 मिनट। यह वह समय होता है जब हमारा चेतन मन धीरे–धीरे नींद की तरफ जाता है और हमारी ग्रहण करने की शक्ति कम होती जाती है। उस समय हमारा नियंत्रण अवचेतन मन के पास आ जाता है। इस समय हमारे मन को जो भी बता दिया जाए, जो आदेश–निर्देश दे दिये जाएँ, उसे पूरा करने में अवचेतन मन अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। हमारे मन की शक्ति अद्‌भुत होती है। वह अपने लक्ष्य को पाए बिना हमें रुकने नहीं देती। ज़्यादातर लोग सोने से पहले अपनी दिनचर्या को याद करते हैं। ये सब बातें व्यक्ति के अवचेतन मन में चली जाती हैं। सुबह उठते ही हमारा चेतन मन अपने प्रत्यक्ष कार्यों में लग जाता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन रात में दुहराई बातों में ही उलझकर रह जाता है तथा इन बातों से सम्बन्धित सूचनाएँ चेतन मन को प्रेषित करता रहता है। इसका प्रभाव हमारे अगले दिन के कार्य–व्यवहार पर आता है तथा हमारा चेतन मन भी उन्हीं बातों पर विचार करने लगता है। यदि ये बातें बहुत नकारात्मक होती हैं तो हम हमारा अगला दिन भी उस नकारात्मक सोच के साथ ही बिताते हैं और इस तरह हम अपने जीवन में सुधार ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सोच में नकारात्मकता का क्रम टूटता ही नहीं है, लेकिन यदि हम सकारात्मकता या सकरात्मक सोच, अपने सफल अनुभवों को सोचते चले जाएँ जो फिर हमारी सकारात्मकता का क्रम नहीं टूटेगा तथा हमारे जीवन में अपेक्षित परिवर्तन आएगा।

अतः ध्यान रखिये, सोने से पहले हमें अपने मन को सकारात्मक बातें बोलनी हैं, जैसे – मेरे अंदर सफलता पाने की ताक़त है, मैं सक्षम हूँ, मैं सफलता पा सकता हूँ, मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मैं अपना समय बहुत अच्छे–से प्रबंधित करता हूँ, मेरा परिवार, मेरे आस–पास के लोग मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे जीवन में आनन्द आ रहा है आदि। इस बातों को जब हमारा अवचेतन मन ग्रहण करेगा तो सुबह उठते ही वह इन्हीं बातों से सम्बन्धित सूचनाएँ चेतन मन को भेजेगा तथा यह अहसास कराएगा कि चेतन मन शक्तिशाली, संवेदनशील एवं संतुष्ट है और फिर आप इन सकारात्मक भावों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगें। इससे पूरे दिन आप उर्जावान रहेंगें। जो बातें आपने रात में सोने से पहले अपने लिये सोची थीं, उन बातों को सच करने के लिए आपका मन प्रयास करना शुरू कर देता है तथा आपका अवचेतन मन भी चेतन मन के सपोर्ट में लगा रहता है। इसलिये ज़िंदगी में हर रोज़ सारा दिन आप कितना भी काम करें, बस, दिन के अंत में 5–10 मिनट खुद से खुद के लिए मांग लें। इतना वक़्त तो आपकी व्यस्तता आपको दे ही देगी या इतना वक़्त आपको अपने लिये लेना ही चाहिए कि जब आप अपने अवचेतन मन से बातें कर पाएँ। फिर आपकी हर ख़्वाहिश आपकी सफलता की राह पर दस्तक देगी ही देगी।

हमारे पुलिस विभाग में नकारात्मकता बढ़ने का एक कारण हमारी नकारात्मक सोच ही है। एक पुलिस वाला हमेशा यही तर्क करते सुना जाता है कि अरे हम क्या करें, कहाँ से सकारात्मकता लाएँ? हम तो सारा दिन चोर–उच्चकों व अपराधियों से ही डील करते रहते हैं। इन्हें पकड़ना, इन पर कानूनी कार्रवाही करना, कानून की धाराओं के बीच गोते लगाना, बस ऐसे ही हमारा दिन गुज़र जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विभागीय दबावों के बीच काम करना होता है। सबसे बड़ा दबाव तो समय का होता है। पुलिस के पास हमेशा उपलब्ध समय अपेक्षित

कार्यों से कम ही होता है तथा हम तनाव एवं दबाव में ही अपना दिन गुज़ारते हैं। इन्हीं भावनाओं, सोच, परिस्थितियों एवं नज़रिये के साथ ही अपने अगले दिन की प्लानिंग भी करते जाते हैं तथा दिन के अंत के वो 05 मिनट, जो हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें भी अपनी खिन्नता में बिता देते हैं। यही खिन्नता अगले दिन हमारे कार्य व्यवहार की शुरुआत करती है। मुझे लगता है कि आप सभी को ये सब बातें अपने जीवन में घटित होती-सी लग रहीं होंगी। बस, हमें अपनी सोच के तरीके को सकारात्मक बनाकर रखना है। यह तो ज़िंदगी है। यहाँ सभी के लक्ष्य, कार्य निर्धारित होते हैं। इन कार्यों से बचने का कोई विकल्प नहीं होता। कार्य तो करना ही होता है, लेकिन इन कार्यों को करने के तरीके ज़रूर वैकल्पिक हो सकते हैं। कार्य हम पर निर्भर करे न करे, लेकिन कार्य के प्रति हमारी सोच हम पर ही निर्भर करती है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।

कोई भी कार्रवाही, जो देखने में नकारात्मक लगती है, लेकिन उस कार्य व्यवहार के परिणाम सकारात्मक हो सकते हैं तथा हम अपने अवचेतन में उस सकरात्मकता को प्रेषित कर सकते है, जैसे-दो लोगों के झगड़े में आप आरोपी को पकड़ते हैं और उसे अपने नियंत्रण में लेते हैं। उसके साथ आपको कठोरता से भी पेश आना पड़ता है, लेकिन इस स्थिति में आपकी कार्रवाही आरोपी को परेशान करने की नहीं बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने की होती है। अतः आपकी सोच एवं नज़रिया भी आरोपी पर नहीं बल्कि पीड़ित पर आधारित होना चाहिए, जिसे आपने बचाया है, जिसकी आपने मदद की है। आपके कार्य के प्रति आपमें संतुष्टि आना शुरू हो जाएगी। आपके कार्यों के लिए बनाई गई विधियाँ, नियम, रेग्युलेशन, विभागीय आदेशों के प्रति आपकी सोच बाध्यता मूलक न होकर आस्थापूर्ण होनी चाहिए। आपको इस तरह सोचना चाहिए कि ये सभी नियम आपके कार्य के लिए मार्गदर्शक हैं। ये आपकी सहायता के लिए हैं। जहाँ कहीं भी कार्यात्मक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, ये नियम आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसी सोच आते ही ये सभी परिस्थितियाँ हमारे लिये दबाव नहीं बल्कि हमारे कार्य-व्यवहार के मापदण्ड लगने लगेंगी। फिर हमारे अंदर नकारात्मकता नहीं, व्यावहारिकता आएगी। यह व्यावहारिकता ही हममें व्यावसायिकता को जन्म देगी। और इस सबकी शुरुआत होगी, अपने लिये 5 मिनट का समय निकालने से।

सोच कर देखिए, पूरी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए पुलिस को ही सक्षम बनाया गया है। उसे ही अधिकार एवं शक्तियाँ दी गई हैं। पुलिस ही है जो सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ-साथ जन कल्याण के लिए सोचती एवं कार्य करती है। इतनी जन कल्याणकारी ज़िम्मेदारी किसी अन्य विभाग को नहीं मिली है। इस ज़िम्मेदारी को सार्थकता के साथ सम्पन्न करने के लिए हमारी संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। हमारी सकारात्मक सोच को एक सकारात्मक नज़रिये की ज़रूरत होती है। कहते हैं, जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। यदि एक गिलास दूध से भरा है तो सामने वाले को दूध मिलेगा और यदि उसमें पानी भरा है तो सामने वाले को पानी ही मिलेगा। इसलिए यदि हम वास्तव में अपने कार्य-व्यवहार से समाज में शांति-व्यवस्था कायम करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं को व्यवस्थित करना होगा। स्वयं में शांति लानी होगी। स्वयं अव्यवस्थित रहकर हम दूसरों को व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपनी व्यस्तता में से अपने लिये प्रतिदिन 5 मिनट ज़रूर निकालें। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा करने से ज़िंदगी में मुश्किलें आना बंद हो जाएँगी, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि ज़िंदगी में मुश्किलें आएँगी तो उनका सामना करने की शक्ति भी आएगी। आप

मुश्किलों के आगे गिव-अप नहीं करोगे। मुश्किलें आएँ तो बस सकारात्मकता के साथ उन पर विचार करना, अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ना और सोचना कि दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुश्किलों और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, निराश्रित हैं। हम तो फिर भी शक्ति सम्पन्न हैं। स्वयं के लिए निकाले गए ये 5 मिनट आपको सकारात्मक, सक्षम, संवेदनशील और उर्जावान बनाएँगे तथा आपकी सफलता का स्तर बढ़ाएँगे।

Your mind is a magnet:

If you always think of blessings,

you attract more blessings.

If you always think of problems,

you attract more problems.

Always keeps good thoughts and stay positive.

❑

कम्प्यूटर एवं साइबर अपराध

न्यायालयिक विज्ञान एवं अपराध अनुसंधान

डॉ. वीना शर्मा

शोधार्थी

देहारादून, उत्तराखण्ड

आज कम्प्यूटर का उपयोग न केवल विज्ञान व उद्योग के क्षेत्र में हो रहा है बल्कि यह एक मनोरंजन एवं घरेलू उपयोग की वस्तु बन चुका है। वस्तुतः वर्तमान समय में बिना कम्प्यूटर के शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, रक्षा उपकरण, परिवहन, बैकिंग आदि की कल्पना करना भी असंभव है।

क्या है कम्प्यूटर (What is a Computer)?

यह एक जटिल उपकरण होता है जिसके द्वारा आँकड़े संकलित (Store), सुरक्षित (Preserve)एवं आवश्यकतानुसार प्रोसेसिंग के द्वारा पुनः प्रस्तुत (Reproduce) किये जाते हैं। सैद्धांतिक रूप से कम्प्यूटर निम्न का संयुग्मन होता है।

- हार्डवेयर (Hardware)
- सॉफ्टवेयर (Software)
- वायरस (Viruses)
- संलग्न वस्तुएँ (Peripherals)

कम्प्यूटर के भाग (Parts of Computer)

- सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (Central Processing Unit, CPU)
- मॉनीटर (Monitor)
- की-बोर्ड (Key&Board)
- यू.पी.एस (UPS)
- सी.डी.रोम (CD Rom)
- मॉडम (Modem)
- प्रिंटर (Printers)
- वेब कैमरा (Web Camera)
- स्कैनर (Scanner)
- स्पीकर्स (Speakers)
- आंसरिंग मशीन (Answering Machine)
- पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट

कम्प्यूटर के उपयोग (Uses of Computer)

पुलिस की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित कार्यों के प्रभावी संपादन हेतु कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है।

- यातायात नियंत्रण (Traffic Control)
- वाहनों के पंजीकरण का अभिलेख (Record of Registration of Vehicles)
- आग्नेयास्त्रों का अभिलेख (Firearms Record)
- मानव क्षमता अभिलेख (Man Power Record)
- आपराधिक प्रकरणों का अभिलेख (Crime Cases Record)
- अपराध तरीका अभिलेख (Modus Operandi Record)
- संदेहियों का अभिलेख (Suspect Records)
- कोर्ट प्रकरणों का अभिलेख (Court Cases Record)
- अंगुली चिन्ह अभिलेख (Finger Prints Record)
- चोरी किए गए वाहनों का अभिलेख (Record of Stolen Vehicles)
- गुमशुदा व्यक्तियों का अभिलेख (Missing Person Record)
- देश व विदेश से इंटरनेट के द्वारा सम्पर्क स्थापित करने में। (To Make Contact in the Country or abroad through Internet)
- उपरोक्त के अतिरिक्त अपराध अनुसंधान में आवश्यकतानुसार छवि निर्धारण, जी.पी.एस. तकनीक, डिजीटल फोटोग्राफी आदि में भी कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है। (Other

than above, the computer used in image selection in crime investication, GPS technique, Digital Photography etc.

- कम्प्यूटर की सीमाएँ (Limitations of Computer)
- यह स्वत: कार्य नहीं करता है (It Does not work itself)
- यह बुद्धिमान नहीं होता है (It is not intelligent)
- यह धोखा नहीं देता है (It is not decisive)
- यह अनुभव से सीखता नहीं है (It cannot learn from experience)

साइबर अपराध (Cyber Crime **)**

दैनिक जीवन में कम्प्यूटर जितना उपयोगी साबित हो रहा है, अपराधी भी अपराधों में इसका भरपूर उपयोग करने में लगे हैं जो पुलिस एवं अन्य समकक्ष संस्थाओं के लिए एक चुनौती है। कम्प्यूटर की मदद से किया गया कोई भी अनाधिकृत एवं ग़ैर कानूनी कार्य साइबर या कम्प्यूटर अपराध कहलाता है।

स्वभाव (Nature **)**

इन अपराधों में कम्प्यूटर निम्न हो सकता है।

- अपराध की वस्तु
- अपराध का उपकरण
- अपराध का साक्ष्य

उद्देश्य (Motives **)**

मुख्यत: साइबर अपराध आर्थिक लाभ के लिए किये जाते हैं तदापि इसके निम्न अन्य उद्श्य भी हो सकते हैं -

- जासूसी करना (Spying)
- जालसाज़ी व धोखाधड़ी (Fraud and Cheating)
- बदला लेना (Revenge)
- सम्पत्ति हड़पना (Property Capture)
- ब्लैक मेलिंग (Blackmailing)
- बदमाशी करना (Mischief)
- अश्लील चित्र बनाना (Pornography)
- कम्प्यूटर के महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्रों को नष्ट करना (To Destroy the important control systems of Computer)
- अतिगुप्त सूचनाओं की चोरी करना (To Steal the very confidential informations)
- व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्विता लक्ष्य (Professional Race)

लक्ष्य (Targets **)**

- व्यावसायिक संस्थान (Corporate Institutions)
- बैंक (Banks)
- वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions)
- शासकीय विभाग (Government Departments)
- खुफिया एवं सैन्य संगठन (Intelligence and Military Organizations)
- शोध एवं शैक्षणिक संस्थान (Research and Educational Institutions)
- शेयर मार्केट (Share Market)

अनुसंधान (Investigation **)**

साइबर अपराध का अनुसंधान, सामान्य अपराध की तुलना में पूर्णत: भिन्न होता है। इसलिए यह कार्य कम्प्यूटर विज्ञान में विशिष्ट दक्षता वाले पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी को सर्वप्रथम निम्न को सुनिश्चित किया जाना चाहिएँ

- अपराधी की पहचान
- अपराध के उपकरण अर्थात कम्प्यूटर की खोज करना।

- पीड़ित व्यक्ति के कम्प्यूटर एवं अपराधी के बीच संबंध स्थापित करना
- **पीड़ित व्यक्ति (The Victim) :** वह व्यक्ति, जो कम्प्यूटर का ज्ञान एवं इंटरनेट की सुविधा रखता हो।
- **अपराधी (The Criminal) :** पीड़ित अपराधी के समान ही व्यक्ति को कम्प्यूटर का संपूर्ण ज्ञान एवं इंटरनेट की सुविधा होना आवश्यक है।
- **घटना स्थल (The Crime Scene) :** इंटरनेट स्पेस (Internet Space)।

साक्ष्य (Evidence)

कम्प्यूटर में संग्रहित किये गए तथा एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर में स्थानांतरित किये आंकड़े एवं जानकारी साइबर अपराध के महत्वपूर्ण साक्ष्य होते हैं। इनका संकलन तभी संभव है जब सम्बन्धित सभी वस्तुएँ परीक्षण हेतु यथास्थिति में सुरक्षित की जाएँ। ये साक्ष्य अदृश्य एवं सुग्राही होते हैं एवं थोड़ा-सा अवसर मिलने पर नष्ट किए जा सकते हैं। साइबर अपराध से विधिवत मय, पर्याप्त जानकारी चिन्हित कर साक्ष्य के महत्व के अनुसार सुरक्षित किया जाना चाहिए। प्रत्येक वस्तु की पहचान एवं जानकारी के पश्चात् ही सीलबन्द किया जाना चाहिए तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संकलन, संरक्षण, पैकिंग व परिवहन के दौरान उनमें संग्रहित की गई जानकारी नष्ट न होने पाएँ। ये साक्ष्य निम्न हो सकते हैं-

- साइबर साक्ष्य के रुप में अपराधी की व्यक्तिगत फाइल, फोन-बुक, ई-मेल, ऑडियो-वीडियो फाइल, इंटरनेट-बुक मार्क आदि, जिनमें महत्वपूर्ण जानकारी पाई जा सकती है।
- यदि कम्प्यूटर इंटरनेट से जुड़ा रहा हो तो प्रिंटर से प्रिंट किये गए दस्तावेज़ का समय व दिनांक ज्ञात किया जा सकता है। स्कैनर से ग़ैर कानूनी तौर से स्कैन किये गए चॉक, ड्राफ्ट, करेंसी नोट, फोटोग्राफी पर स्कैनर के साक्ष्य मिल सकते हैं।
- आधुनिक टेलीफोन में नाम, नम्बर, वॉयस कॉल्स, वीडियो क्लिप्स संग्रहित हो जाती हैं, जोकि महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकते हैं।
- साइबर अपराध से सम्बन्धित सभी प्रदर्शों के चुम्बकीय क्षेत्र से दूर रखना चाहिए तथा ताप व नमी से बचाना चाहिए।

चुनौतियाँ (Challenges)

चूंकि साइबर अपराध में चश्मदीद गवाह एवं भौतिक या दस्तावेज़ी साक्ष्यों का अभाव होता है, यहाँ तक कि यदि अपराध से सम्बन्धित कम्प्यूटर को गलत ढंग से चलाया जाए तो महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए साइबर अपराध का अनुसंधान निम्नलिखित कारणों से एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

1. उच्च तकनीक अपराध (High Tech Crime)

यद्यपि सूचना प्रौद्योगिकी तेज़ी से बदल रही है तदापि सामान्य विवेचक इस प्रौद्योगिकी के बारे में बहुत ही सीमित ज्ञान रखता है। इसीलिए ऐसे अपराध हेतु पृथक् विशेषज्ञों की टीम की आवश्यकता होती है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र (International Area)

कभी-कभी साइबर अपराध होता तो एक देश में है, किन्तु उसका परिणाम दूसरे देश में पाया जाता है, जिसका सामान्य अपराध स्थल साइबर स्पेस होता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अपराधी बिना अपराध के स्थान का उल्लेख किये अपराध कर सकता है जो नई दिल्ली, न्यूयॉर्क या लंदन में स्थित हो सकता है। साक्ष्य के रूप में केवल पीड़ित व्यक्ति के स्थान का ही पता लगाया जा सकता है।

3. अपराध स्थल का न होना (No Crime Scene)

• सैटेलाइट से दो कम्प्यूटर किसी भी स्थान से जुड़े रह सकते हैं अत: क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना अथवा जमा करने का अपराध किसी स्थान विशेष पर जाए बिना किया जा सकता है। इसीलिए साइबर अपराध का कोई निश्चित घटना स्थल नहीं होता है।

4. चेहरा रहित अपराध (Faceless Crime)

साइबर अपराध करने हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति, लिखे दस्तावेज़, हस्ताक्षर, अंगुली चिन्ह या आवाज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती बल्कि की-बोर्ड (Key-Board)का एक बटन दबाने से ही एक बड़ी राशि प्राप्त की जा सकती है। अत: हम कह सकते है कि चेहरे को दिखाये बिना ही ऐसे अपराध सम्पन्न किये जा सकते हैं।

5. अल्पकालीन अपराध (No-Time Crime)

साइबर अपराध बिना समय गँवाए तत्काल ही सम्पन्न किया जा सकता है। यह बात अलग है कि इसका पता कई दिन, सप्ताह, माह या वर्ष बाद लगे, किन्तु इससे जुड़े साक्ष्यों को क्षण भर में पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है।

वर्गीकरण (Classification)

- इंटरनेट अपराध (Internet Crimes)
- कम्प्यूटर धोखा (Computer Frauds)
- कम्प्यूटर अपराध (Computer Crimes)

1. **इंटरनेट अपराध :** ऐसे अपराधों में अपराधी एवं पीड़ित व्यक्ति के कम्प्यूटर इंटरनेट से जुड़े रहते हैं एवं अपराध का प्रभाव भी इन्हीं पर पड़ता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं।

- ई-मेल बम (E-mail Bomb)
- वायरस का प्रवेश (Introduction of Virus)
- ट्रोजन हॉर्स का प्रवेश (Introduction of Trojan Horse)
- प्रोनोग्राफी (Pornography) अश्लील चित्र बनाना।
- हैकिंग (Hacking) एक कम्प्यूटर की सुविधाओं को दूसरे कम्प्यूटर में स्थापित करना।
- हाइजैकिंग (Hijacking) : कम्प्यूटर की सुविधाओं को निकाल लेना।
- पायरेसी (Piracy) : कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत जानकारी को पृथक से फिल्म अथवा डिस्क में तैयार करना।
- चोरी (Theft)
- सेवा में व्यवधान (Blocking of Services)
- झूठ प्रचार (False Propaganda)
- वायु, रेल, वित्त, संचार प्रणाली को नष्ट करना। (To Destroy Air, Train, Financial, Communication System)

इन्हें साइबर स्पेस अपराध (Cyber Space Crime) भी कहा जाता है।

2. **कम्प्यूटर धोखा :** इसमें कम्प्यूटर द्वारा किए गए अपराध आते हैं, जैसे चोरी, जालसाज़ी, जाली मुद्रा निर्माण करना आदि। इनका उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाना होता है। इस हेतु कम्प्यूटर के अतिरिक्त निम्न की आवश्यकता रहती है।

- स्कैनर (Scanner)
- केबिल्स (Cables)
- प्रिंटर (Printers)
- इंटरनेट (Internet)

❑

भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर मानव तस्करी को रोकता एक बल

श्री रघुवीर प्रसाद
हेड कांस्टेबल, एस.एस.बी.

सभ्य समाज के माथे पर दाग़ और मानवता को शर्मसार कर देने वाले मानव तस्करी के बढ़ते मामले गंभीर चिंता का सबब बन गए हैं। नशीली दवाओं और हथियारों के बाद मानव तस्करी विश्व भर में तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। बच्चे देश की नींव हैं और उनके प्रति असंवेदनशीलता उस देश के भविष्य के लिए हानिकारक है। सामाजिक असमानता, क्षेत्रीयता लिंग वरीयता असंतुलन और भ्रष्टाचार इत्यादि मानव तस्करी के लिए ज़िम्मेदार हैं। भारत के, ख़ासकर पूर्वी राज्यों के ग्रामीण इलाकों और आदिवासी क्षेत्रें में यह अत्यधिक व्याप्त है। अत्यधिक ग़रीबी, शिक्षा की कमी और सरकारी नीतियों का ठीक से क्रियान्वयन न होना ही बच्चों को मानव तस्करी का शिकार बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। इस कड़ी में लोकल एजेंट भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एजेंट गाँवों के बेहद ग़रीब परिवारों की कम उम्र की बच्चों पर नज़र रखकर उनके परिवार को शहर में अच्छी नौकरी का झांसा देते हैं। ये एजेंट इन बच्चियों को घरेलू नौकर, जिस्मफ़रोशी जैसे धंधों में धकेल देते हैं और हर स्तर व हर तरह से इनका शोषण किया जाता है।

न सपनों की ये दुनिया है, न ख़्वाबों का आसमां ...
अंधे हैं तमाम रास्ते यहाँ, अंधा है ये जहां...
रूह को बेचकर हर बात होती है यहाँ इशारों में,
जिस्मों को ख़रीदा जाता है मात्र चंद हज़ारों में...
किससे शिकवा करें, किससे करें गिला, कुछ अजीब से
हैं इन गलियों के निशां...
रिश्ते ढूंढ़ने पड़ते हैं जहां इश्तेहारों में, इंसान भी बिकते हैं
यहाँ बाज़ारों में ...

आज महानगरों से ग्रामीण स्तर पर मानव तस्करी का जाल फैला हुआ है। भारत के साथ-साथ विश्व स्तर पर कानून की लचरता व लाचारगी ने इस अपराध को खतरनाक स्तर तक पनपने का मौक़ा दिया है। देश में लड़कियाँ, औरतें सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि आज मानव ही मानव का व्यापार कर रहा है। देश में आज ग़रीबी, बेरोज़गारी है। एजेंट इन समस्याओं का फ़ायदा उठाते हैं। वह ग़रीब, अनपढ़ लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर उनकी तस्करी करते हैं। कई जगह लड़कियों से जिस्मफ़रोशी का धंधा करवाया जाता है तथा कई जगहों पर लड़कियों को बेचकर उनकी ज़बरन शादी कराई जाती है। क्योंकि आज हम देखें तो कई उत्तरी राज्यों में लिंगानुपात में भारी अन्तर है, जिस वजह से शादी के लिए भी लड़कियों की तस्करी की जाती है। बड़े शहरों में घरेलू कामों के लिए लड़के-लड़कियों की तस्करी की जाती है।

बच्चे, ख़ासतौर पर छोटी लड़कियों और युवा महिलाओं को उनके घरों से लाकर दूर-दराज़ के राज्यों में यौन शोषण और बंधुआ मज़दूरी के लिए बेचा जाता है। एजेंट इनके माता-पिता को पढ़ाई, बेहतर ज़िंदगी और पैसों का लालच देकर लाते हैं। एंजेट इन्हें स्कूल भेजने के बजाय ईट के भट्टों, घरेलू नौकर, भीख मांगने इत्यादि कामों में झोंक देते हैं जबकि लड़कियों को यौन शोषण के लिए बेच दिया जाता है। यहाँ तक कि इन लड़कियों को उन क्षेत्रों में शादी के लिए मजबूर किया जाता है जहाँ लड़कियों का लिंगानुपात लड़कों के मुकाबले बहुत कम है।

सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के लगने वाली नेपाल एवं भूटान सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है। इन सीमाओं के खुले होने के कारण इनमें असंख्य चोर

दरवाजे हैं। इन पर किसी का भी सम्पूर्ण नियंत्रण नहीं है। इन सीमाओं पर दो सौ से अधिक तो नदी-नाले हैं। मित्र राष्ट्रों की जनता की बेरोक-टोक आवाजाही की आड़ में असामाजिक तत्व इन रास्तों का फायदा उठाते हैं।

इन सीमाओं पर तस्करी धंधे का रूप ले चुकी है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों से यह साबित हो चुका है कि मानव तस्करी के लिए यह खुली सीमाएँ किस हद तक ख़तरनाक बन चुकी हैं। अपराधियों की तो ये पनाहगाहें बन चुकी हैं। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकम्प के बाद मानव तस्करी में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी देखने में आई। मौजूदा हालात में सीमा को फूलप्रूफ बनाना नामुमकिन है। बॉर्डर पर अनगिनत छेद हैं, कितनों को पाटेंगे? दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी का रिश्ता है। बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों के असंख्य लोगों के पास दोहरी नागरिकता है। लोगों की खेती दोनों ओर है।

नेपाल बॉर्डर पर तैनात एस.एस.बी. के जवान सीमा सुरक्षा के साथ अब मानव तस्करी भी रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय, नई दिल्ली में वर्ष 2017 में मानव तस्करी के ऊपर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस जघन्य अपराध को रोकने के लिए क्षेत्रक मुख्यालय स्तर पर समय-समय पर स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मानव तस्करी की पेचीदगी से निपटने का तरीकों के बारे में जानकारी देते हैं। प्रशिक्षण लेने वाले जवान अपनी बटालियन में लौटकर साथियों को प्रशिक्षित करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके।

अपने स्थापना काल से ही भारत-नेपाल सीमा पर वर्षों से जारी मानव तस्करी पर अंकुश लगाना बल की एक सामाजिक उपलब्धि रही है जिसमें बल ने राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूहों को सम्मिलित कर पूरे राष्ट्र में अपनी उत्कृष्ट छवि बनाई है। मानव तस्करों और बाल मज़दूरी के ख़िलाफ़ बल ने सीमा पर एक सघन व लगातार निर्बाध चलने वाला अभियान छेड़ा हुआ है। 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर 8 मार्च 2017 को मानव तस्करी से सम्बन्धित आकंड़े एकत्र करने और समय पर समन्वयन के लिए '**इम्पल्स**' नामक एक सॉफ्टवेयर की भी बल द्वारा शुरुआत की गई है। इसके साथ ही बलकर्मियों को इस जघन्य अपराध के संबंध में जागरूक करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्यशाला का भी नई दिल्ली में आयोजन किया गया। वर्ष 2018 में अब तक 752 पीड़ितों को राहत प्रदान कर 254 अपराधियों को गिरफ़्तार किया गया है।

15 सितम्बर, 2017 को मानव तस्करी के प्रति सीमांत के लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एस.एस.बी. ने बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के बेरगनिया नामक स्थान में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

किया तथा वहाँ से एक जागृति बस को भी रवाना किया। बस ने बिहार के मानव तस्करी से प्रभावित इलाकों में जाकर मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की है।

मानव तस्करों से मुक्त कराए पीड़ितों को स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा अपने बलकर्मी एवं उनके परिजनों की तकनीकी कुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से एस.एस.बी. ने भारत सरकार के कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्रालय के त्तवावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ वर्ष 2017 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर 06 स्थानों पर कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की। आज देश के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम व Domestic Workers Sector Skill Council के साथ मिलकर एस.एस.बी. ने अगस्त 2018 में 8 स्थानों पर 'मैन फ्राइडे' कार्यक्रम की शुरुआत की है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं को नियुक्ति देने वाला एस.एस.बी. पहला बल है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एस.एस.बी. ही एकमात्र ऐसा बल है जो अपने सेवानिवृत्त होने वाले एवं सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों और उनके परिवारों के साथ-साथ सीमावर्ती जनसंख्या और विशेष रूप से बेरोज़गार युवाओं और कमज़ोर महिलाओं की कौशल विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

वर्तमान में मानव तस्करी के सही आंकड़े पता कर पाना बहुत मुश्किल है। आज नेपाल से छोटी उम्र की लड़कियों को नेपाल से तस्करी कर भारत के अलग-अलग हिस्सों में लाया जाता है। राजधानी दिल्ली सहित अन्य महानगर तो घरेलू काम-काज, ज़बरन शादी और वेश्यावृत्ति के लिए छोटी लड़कियों के अवैध व्यापार का हॉटस्पॉट माने जाते हैं।

चूंकि पीड़ित न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शोषण और प्रताड़ना से गुज़रते हैं अत: सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि परिवार भी उन्हें अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि इसे वो समाज में बदनामी से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की होती है कि पीड़ित को सुरक्षा मिले। मानसिक रूप से भी उसे सामान्य किया जाए, उसे बेहतर भविष्य की ओर आशान्वित किया जाए, तब कहीं जाकर पूरी तरह से कामयाबी मिल पाएगी। हालांकि मानव तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं किंतु समस्या कानून को क्रियान्वित करने की है।

इनके पुनर्वसन में एक और बड़ी समस्या यह भी होती है कि पीड़ित हर स्तर पर इतना अधिक शोषण का शिकार हो चुका होता है कि उसका विश्वास सभी पर से उठ जाता है, उसे रेस्क्यू की प्रक्रिया पर भी अधिक भरोसा नहीं रहता और न ही

वो अधिक पॉज़ीटिव होता है अपने भविष्य के प्रति उसमें फिर से आशा जगाना बेहद चुनौती भरा काम है।

देश में कई संस्थाएँ मानव तस्करी से पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अच्छा काम कर रही हैं। संस्थाएँ पीड़ितों की शिक्षा व उनमें से जो एच.आई.वी से संक्रमित होते हैं, उन बच्चों की भी सहायता करती है। 'प्रज्वला' नामक संस्था जिस्मफ़रोशी में लिप्त महिलाओं के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी काम करती है, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सके।

जब तक हम अपने अन्दर के इंसान को नहीं बदलेंगे तब तक मानव तस्करी होती रहेगी। हमें चाहिए कि हम कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों से बचें, जिससे मानव तस्करी में कमी आएगी। मानव तस्करी की समस्या ज़्यादातर उन लोगों की वजह से होती है जो औरतों को एक खिलौना समझते हैं और जिस्मफ़रोशी करवाने से नहीं चूकते।

आज इस समस्या से निपटने के लिए हमें चाहिए कि अधिकाधिक लोगों को शिक्षित किया जाए। बेरोज़गार युवक-युवतियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएँ और इसमें लिप्त लोगों के विरुद्ध सख़्त कानून बनाकर उन्हें अमल में लाया जाए। इसके विरुद्ध सोशल मीडिया के माध्यम से भी अधिकाधिक लोगों को शिक्षित किया जाए। इस दिशा में वर्ष 2017 में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए **'पैंसिल पोर्टल'** का शुभारंभ किया गया तथा इसी कड़ी में हाल ही में गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए **'रियूनाइट एप्प'** को लॉच किया गया है।

❑

पुलिस विज्ञान

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, एन.एच. 8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in